छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **द्वितीय सत्र**

बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024

(माघ 18, शक सम्वत् 1945)

[अंक 03]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024

(माघ-18, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, विपक्ष वाले कल से गायब हुए हैं तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कहां-कहां, किधर-किधर गए तो ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- नेता जी भी नहीं आए हैं, अभी तो ।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत स्वीतकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 272) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कौन-कौन से ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य स्वीकृत हुए हैं ? वर्षवार विस्तृत विवरण देवें ? (ख) कंडिका "क" के कितने कार्य पूर्ण हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं ? विस्तृत वर्णन देवें? (ग) कंडिका "ख" के अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ? विस्तृत विवरण देवें ? नहीं तो कारण सहित उल्लेख करें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :(क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्य की ग्रामवार एवं वर्षवार विस्तृत विवरण [1]संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) कंडिका 'क ' के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) कंडिका 'ख ' के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक संयोग है कि मैं इस सदन में 20 साल तक लोरमी के विधायक के रूप में बैठा हुआ था और आज लोरमी के विधायक के रूप में श्री अरूण साव जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में यहां मेरे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं । मैं तखतपुर के विधायक के रूप में

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पहली बार तखतपुर के बारे में पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी, आपने अपने जवाब का अध्ययन तो कर ही लिया होगा । जल जीवन मिशन के कुल 198 कार्य स्वीकृत हुए, उनमें से पिछले तीन वर्षों में सिर्फ 09 पूर्ण हुए, 189 कार्य अपूर्ण हैं । मैं चुनाव में जब था तो मुझे वहां भाषण सुनने को मिलता था कि तखतपुर में विकास की गंगा बह गई है । गंगा इतनी ज्यादा बह गई है कि वहां की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए सेना बुलानी पड़ गई है । अगर यही गंगा है तो अध्यक्ष महोदय, मैं क्या प्रश्न पूछूं आपने तो स्वयं ही देख लिया है । मुझे यह बताइए कि शेष कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? आपको इसलिए भी इन कार्यों को पूरा कराना है क्योंकि गरीब लोग गांव में पानी की मांग करते हैं और स्वीकृत होने के बाद, दिल्ली की सरकार से पैसा आने के बाद भी अगर ये काम पूरे नहीं हुए हैं तो आप इसकी समीक्षा करेंगे क्या और आप अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे क्या, आपने जो 31.03.2024 तक की तिथि निर्धारित की है, ये काम पूरे हो जाएंगे ? इस बात का मैं ठोस आश्वासन चाहता हूं ।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी ने बहुत ही मौलिक प्रश्न किया है । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक अति-महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के नाम पर प्रारंभ किया कि हर-एक व्यक्ति को नल से शुद्ध पेयजल मिल सके और जिस तरह से सुदूर अंचल के लोग बहू-बेटियां दूर तक पानी लेने के लिए सिर में गुंडी लेकर जाया करती थीं । दिन भर का समय पानी के लिए आपा-धापी में ही बीतता था । नज़दीक में पानी के सोर्स भी थे तो कोई तालाब से, पोखर से पानी पीते थे । उनके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता होगा । इतनी अति-महत्वाकांक्षी योजना देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 2019 से प्रारंभ की । यह सही है कि अपेक्षित..।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कहें कि वे भाषण न देकर, जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अरूण साव :- प्रतीक्षा करिये, प्रतीक्षा करिये, आपके ही कार्यकाल के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा है मुझे बोलने तो दीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें हम लोग भी एकाध प्रश्न पूछ सकते हैं । केन्द्र में तो आपकी सरकार है ना, पैसा तो आपको लाना था ।

श्री अरूण साव :- काहे घबरा रहे हो, काहे डर रहे हो ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी पहली बार प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं इसलिए भूमिका जरूरी है और भूमिका के साथ अपनी बात रखेंगे और ये अनुभवी भी हैं, लोक सभा में बिलासपुर का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, इसलिए अनुभव भी है इसलिए थोड़ी भूमिका सुन लीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं भी यही कहना चाह रही हूं कि अनुभवी हैं इसलिए भूमिका बांधने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री अरूण साव :- धन्यवाद् अध्यक्ष महोदय । यह सही है कि अलग-अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के काम की जो प्रगति होनी चाहिए । हम देश में 33वें रैंक पर थे और नई सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इतनी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हमने गंभीरता से प्रयास करना चालू किया और आज हम 24 वें पायदान पर आ गये हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कहा है, वह सही है कि केवल 9 कार्य पूर्ण हुए हैं लेकिन हमने तेजी से काम करना प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से निर्धारित समय में उन कामों को पूरा करेंगे और लोगों को शुद्ध पेयजल घर से नल तक पहुंचाने का जो सपना नरेन्द्र मोदी जी ने देखा है, उसे पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, पहले यह बता दें कि जल के उपर जो प्रश्न है, उसमें कितना ठोस उत्तर चाहते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी सर।

अध्यक्ष महोदय :- जल जीवन मिशन के उपर कितना ठोस उत्तर चाहते हो, जल तरह होता है, इसमें कितना ठोस जवाब चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, मैंने ठोस इसलिए बोला कि आश्वासन तो ठोस होना चाहिए। अगर पानी के समान आश्वासन देते तो वह पता नहीं कहां बह जाता, कहां निकल जाता। वैसे भी तखतपुर में पिछले 5 सालों में वहां की विधायक ने बताया कि मैंने वहां विकास की बहुत गंगा बहाई है तो मैं गंगा खोजने तो आया हूं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, गंगा का अता-पता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं, मंत्री जी, यह सिर्फ तखतपुर का प्राब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है कि इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों के क्षेत्र में प्रगति बहुत जरूरी है और उसमें 2-3 प्राब्लम आते हैं या तो पानी टंकी कहां बनना है, उसकी जगह का झगड़ा आ जाता है, ठेकेदार को मौका मिल जाता है कि यहां झगड़ा चल रहा है। इसके लिए एक निर्धारित समय-सीमा में सभी एस.डी.एम., कलेक्टरों को निर्देश देंगे क्या कि जगह का प्राब्लम साल्व करें ? दूसरा, जो वह गांव में गड्ढा खोदते हैं, कई जगह पाईपलाईन बिछाने के लिए गड्ढा हुआ है, मैं चुनाव में गया था, कूदते-फांदते इधर से उधर फिसलते गिरते जाना पड़ता है, उसमें प्रावधान है कि उसको सी.सी.रोड बना करके दें तो यह दोनों कार्य भी कार्य पूर्णता के साथ ही सुनिश्चित करने के लिए आप सदन को आश्वस्त करेंगे क्या ? क्योंकि यह प्राब्लम सिर्फ तखतपुर का नहीं है, यह प्राब्लम यहां बैठे हुए सभी लोगों का है, क्योंकि किसी के यहां पूरा काम नहीं हो पाया है, कुछ हो नहीं पा रहा है, गड्ढा पड़ा हुआ है तो इनको भी आप सदन में निर्देशित करने का कष्ट करेंगे क्या ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ जाए फिर आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जा प्रश्न

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उठाया है, अव्यवस्था थी, खोदकर छोड़ दिये थे, लोग परेशान हो रहे थे, बहुत प्रकार की शिकायतें थीं, उन शिकायतों का निराकरण हो, समय पर काम हो, गुणवत्तायुक्त काम हो, यह लगातार सरकार सुनिश्चित कर रही है और इस दिशा में अच्छी प्रगति भी हो रही है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस बड़े उद्देश्य को लेकर यह योजना बनाई गयी है, उस योजना के अनुरूप काम हो, गुणवत्तायुक्त काम हो, समय पर काम हो, सरकार यह सुनिश्चित करेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए प्रश्न करिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई. विभाग में जो पानी टंकी का निर्माण हो रहा है या हुआ है, ठेकदार समय अवधि में काम नहीं किए और पेनाल्टी विभाग में शासन के द्वारा जो पेनाल्टी तय है, उस पेनाल्टी से बचने के लिए अधिकांश जगह में टंकी में जमीन विवाद बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां पर जमीन विवाद नहीं था।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को लिखकर दे देंगे क्योंकि इस प्रश्न से संदर्भित नहीं हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं ना।

<u>रायपुर स्थित तेलीबांधा से व्हीआईपी चौक तक डिवाईडर निर्माण कार्य संबंधी</u>

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (*क्र. 33) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा सत्र के दिनांक 4 जनवरी, 2023 के परिवर्तित अतारांकित प्र.स. 08 (क्र. 85) के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 10 अंतर्गत तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी चौक तक डिवाईडर सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु दिनांक 26.10.2022 को कुल कितनी लागत का टेण्डर जारी किया गया था तथा निर्माण कार्य, किस मद की राशि से, कब से, किस एजेंसी द्वारा (उसके मालिक का नाम, पता सहित) प्रारंभ कर दिया गया था ? विभाग को कब (दिनांक 30 नवंबर 2023 की स्थिति में) पता चला कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है? **(ख)** उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा, कितनी लागत से, किनकी अनुमति से कराया गया और इसके लिये नगर पालिका निगम रायपुर या नेशनल हाईवे प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति ली गयी या नहीं?यदि नहीं ली गयी तो निर्माणकर्त्ता व्यक्ति/एजेंसी ने निर्माण कैसे कर दिया? निर्माण की जानकारी नगर पालिका निगम/राज्य शासन को कब हुयी? इस प्रकार जबरदस्ती निर्माण (शासकीय निर्माण पर) करने वाले व्यक्ति/ऐजेंसी के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** उक्त तरह के निर्माण कराने पर क्या कार्यवाही करने के प्रावधान शासकीय नियमों में हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** नगर पालिक निगम, रायपुर जोन क्र. 10 अंतर्गत तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी. चौक तक डिवाईडर का सौंदर्यीकरण कार्य हेतु दिनांक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

26.10.2022 को 12 विभिन्न कार्य हेतु अलग-अलग कुल राशि रू. 200.36 लाख लागत का टेण्डर जारी किया गया था। उक्त कार्य हेतु अनटाईट फण्ड से स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्थल पर निर्माण कार्य पूर्व से प्रारंभ होने की जानकारी वार्ड निरीक्षण के दौरान उप अभियंता से प्राप्त हुई। उप अभियंता नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा स्थल पर निर्माण एजेंसी के मालिक का नाम, पता पूछने पर स्थल पर कार्यरत् मजदूरों द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की जिसके कारण एजेंसी का नाम एवं पता नहीं चल पाया। निर्माण के संबंध में समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर जोन क्र. 10 द्वारा जारी की गई निविदा दिनांक 26.10.2022 को आयुक्त महोदय के पत्र क्र.794/स्टेनो/आयु./2022, रायपुर दिनांक 09.11.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। **(ख)**निर्माण एजेंसी, निर्माण लागत एवं अनुमति की जानकारी नगर पालिक निगम, रायपुर के पास नहीं है। निर्माण एजेंसी द्वारा नगर पालिक निगम, रायपुर से अनुमति नहीं ली गई थी। नेशनल हाईवे प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त होने की जानकारी निगम के पास नहीं है। उक्त स्थल नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिसके कारण नगर निगम रायपुर को निर्माण की जानकारी नहीं थी। स्थल निरीक्षण में कार्य प्रारंभ होने की जानकारी प्राप्त होने तथा समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी निर्माण कार्य प्रारंभ होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। चूंकि स्थल पर निर्माण एजेंसी का नाम एवं पता स्थल पर कार्यरत् मजदूरों से प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। **(ग)**उक्त स्थल नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रांतर्गत होने से शासकीय नियमों के तहत् कार्यवाही नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही की जानी थी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो मैंने कहा था कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जादू से सड़क बन गयी। यह सड़क जादू से बनी है। उस सड़क से आपकी गाड़ी निकलती है, चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी निकलती है, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी निकलती है, तमाम अधिकारी लोगों की गाड़ी निकलती है, नेताओं की गाड़ी निकलती है, पर स्थानीय शासन विभाग को समाचार पत्र से पता चलता है कि सड़क बन रही है । वह भी आधा बन जाता है तब शासन को समाचार पत्र से पता चलता है कि यहां पर सड़क बन रही है। साहब, उनका जादू अभी भी चल रहा है, ऐसा कौन आदमी, ऐसी कौन सी संस्था है, जिसके जादू के प्रभाव में इधर के लोग भी थी, मेरे को इधर के लोग भी दिख रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने 26.10.2022 को दो लाख 36 हजार का टेंडर किया था, वह 10 टुकड़ों में किया था, हमको मालूम है, लेकिन हम यह पूछ देते हैं, चूंकि आप नेशनल हाईवे के रोड का डिवाईडर बना रहे थे तो क्या आपने टेंडर जारी करने से पहले नेशनल हाईवे से अनुमति ली थी क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर-निगम रायपुर ने N.O.C. के लिए दिनांक 13.06.2022 को N.H.A.I. को पत्र था। N.H.A.I. ने भी उस पत्र का जवाब दिया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26.10.2022 को टेण्डर हुआ। आपने टेण्डर जारी कर दिये। 20-20 लाख रूपये के 10 टेण्डर जारी हुए हैं। यह भी अपने आप में एक अद्भुत घटना है कि आपने 2 करोड़ रूपये के टेण्डर को 10 टुकड़ों में जारी किया। मैंने मंत्री जी से यह पूछा है कि उस टेण्डर को जारी करने से पहले आपने उसकी N.O.C. ली थी या नहीं ली थी और आप मुझे यह भी बता दीजिए कि उसी रोड में ऐसे कितने निर्माण स्थल हैं, जिनके कार्य आपने N.H.A.I. से N.O.C. लेकर करवाये हैं या बिना N.O.C. लिये कार्य करवाये हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 13.06.2022 को नगर-निगम रायपुर ने N.O.C. प्राप्त करने के लिए N.H.A.I. को पत्र लिखा और N.H.A.I. ने उस पत्र का रिसपांस भी दिया। नगर-निगम रायपुर के जोन क्रमांक-10 ने दिनांक 26.10.2022 को निविदा जारी की और इस बीच जानकारी मिलने पर सब-इंजीनियर निरीक्षण करने के लिए गये। जब वह निरीक्षण करने गये तो वहां पर काम होता हुआ पाया। जब काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की कि कौन काम करा रहा है तो यह पता नहीं चला और फिर उक्त निविदा को दिनांक 09.11.2022 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार से यह सही है कि नगर-निगम ने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। N.H.A.I. ने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। वहां पर रोड पर डिवाइडर निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। यह वस्तुस्थिति है कि नगर-निगम ने 2 करोड़ 36 हजार रूपये की अनटाइल्ड फंड से वह निविदा जारी की थी। यह मामला तेलीबांधा चौक से V.I.P. चौक, जोन क्रमांक-10 का है। यह वास्तविकता है इसलिए मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इस मामले की जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड।

अध्यक्ष महोदय :- आपका काम हो गया। मंत्री जी ने जांच के लिए घोषणा कर दी।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपका कोई स्पेसिफिक विषय है तो बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कल भी घोषणा हुई थी। किसी को सजा देना विषय नहीं है। जो यह राजकाज की पद्धति विकसित किये हैं उसमें आप चर्चा करके रायपुर शहर के विधायकों और हमको भी शामिल कीजिए, क्योंकि हम लोग इस प्रश्न को लगातार 3-4 बार से कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जांच की घोषणा की। लेकिन यह दादागिरी है और लोकधन के लूट का एक उदाहरण और नमूना है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। आप इस जांच में रायपुर शहर के विधायकों और हमको भी शामिल करें और इसकी नज़ीर पूरे प्रदेश में बने कि शासन तंत्र ऐसा न करें। आपको जांच की घोषणा करने के लिए पुन: धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्रीमती संगीता सिन्हा।

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के पेचवर्क सुधार, संधारण/मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि

[लोक निर्माण]

3. (*क्र. 217) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में दिनांक 11 जनवरी, 2024 तक संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कों के पेचवर्क सुधार, संधारण/मरम्मत कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितने सड़कों का, कितनी-कितनी राशि से, किस-किस एजेंसी/फर्म के माध्यम से,पेचवर्क सुधार, संधारण व मरम्मत कार्य कराया गया? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' की किन-किन सड़कों में गुणवत्ताहीन कार्य किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) **: (क)** एवं **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र** अनुसार है

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उपमुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, उसमें टीप में है कि शासन के नीतिगत निर्णय के कारण निविदा लंबित है तो मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि यह किस शासन का और कब का निर्णय है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार बनने के बाद जो काम प्रारंभ नहीं हुए थे और जिनकी निविदा जारी नहीं हुई थी, उनके लिए वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता है। वह अनुमति के लिए प्रक्रियाधीन है। जैसे ही अनुमति मिलेगी। हमने आपको अन्य सारे कामों का विस्तृत विवरण दिया है। जो काम विलंब से हुए हैं उन पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और बाकी के कार्य प्रक्रियाधीन हैं, जो समय पर होंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2023-2024 तक जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और जिनके निविदा स्तर पर टेण्डर लग चुके हैं। ऐसे लगभग 13 कार्य हैं, जो 26 करोड़, 52 लाख रूपए का है । मैं जानना चाहती हूं कि उसमें शासन ने किसलिए रोक लगायी है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, आपको पता है कि अभी विधान सभा के चुनाव हुए, आचार संहिता लगी थी, नई सरकार बनी है । कार्य प्रक्रियाधीन है और समय पर काम सुनिश्चित करेंगे । प्रदेश में सड़कों का जाल बिछे, सड़कों का काम हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । विष्णु देव साय जी की सरकार है । लोगों को आवागमन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह मेरे ही विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रही हूं । क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है तो वहां पर इतनी परेशानी होती है, वह सड़क पूरी गिट्टी से भरा हुआ है। यह छोटी-मोटी राशि नहीं है, 26 करोड़, 52 लाख रूपए की बात है । इतनी राशि के लिए टेण्डर लगने वाला था, उसको रोक दिया गया है । यह छत्तीसगढ़ की बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता था । आपने 5 सालों में काम किया होता तो यह आपको बोलना नहीं पड़ता। आप खुद बोल रही हैं कि वहां सड़कें नहीं हैं । छत्तीसगढ़ को 5 साल बरबाद कर दिया और आप बात कर रही हैं । यह विष्णु देव साय जी की सरकार है, सब काम करेगी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमारे शासन में ही उसको स्वीकृत किया गया है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जो काम चालू है, उसको भी रोक दिया गया । आप उसे कब चालू करेंगे, यह बताईए ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया । प्रश्नकाल में एक ही सदस्य बोलें । निषाद जी, आप बोलिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया है । उनका यह कहना है कि वह कार्य किया जाएगा । आप मुझे समय बता दीजिए कि इस कार्य की स्वीकृति आप कब तक प्रदान करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समय बता दीजिए । जल्द से जल्द ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी की बात नहीं है, छोटी-मोटी सड़क नहीं है । वहां पर सियादेवी पर्यटन स्थल की भी सड़क है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक पूरक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाया है । पूर्ववर्ती सरकार ने तो टेण्डर लगा दिया था, प्रशासकीय स्वीकृति आपको देनी है, लेकिन इसमें जो विलंब हो रहा है उसके कारण जनता को आने-जाने में परेशानी हो रही है, शासकीय संस्थान् भी है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वह रास्ता भी है । हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी उस सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे, ताकि निर्माण काम प्रारंभ हो सके ।

श्री धर्मजीत सिंह :- निषाद जी, इन दो महीनों में ही सब परेशानी आ गई क्या ? 5 साल तक क्या कर रहे थे ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- परेशानी पहले भी थी, लेकिन स्वीकृति पहले से हो चुकी है । हम तो यह कह रहे हैं कि टेण्डर लग चुके हैं, आप प्रशासकीय स्वीकृति दे दीजिए, निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे । हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल आपसे प्रशासकीय स्वीकृति आप दे दीजिए, ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके और लोगों को सुविधाएं प्रदान हो सके ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिन्हा बहन जी, यह गिट्टी दो महीने में ही सब छिटक-छिटक रहा है क्या ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी नहीं । मैं यह बताना चाहूंगी कि जो सियादेवी मार्ग है, यह पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल में छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग भी आते हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, आप स्वयं जानते हैं कि किसी चीज की प्रक्रिया पूरी करने में साल भर लगता है और आप ऐसा बोलेंगे, यह उचित नहीं है। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें संरक्षण दें और हमें सहयोग करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे यहां पांच साल तक बोल्डर छिटककर लगता था, तब तो ध्यान नहीं देते थे । अभी गिट्टी में इतने परेशान हो गए हो । आपके यहां से इतना बड़ा-बड़ा बोल्डर निकलता था, बड़ा-बड़ा बोल्डर ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, आप जानते हैं कि जब निर्माण काम के लिए बजट आता है, बजट की स्वीकृति होती है, उसके बाद टेण्डर लगते हैं तो लगभग साल भर की प्रक्रिया होती है और स्वीकृत होने के बाद साल भर ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो निश्चित ही दिक्कत होती है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हमें समय अवधि बता दीजिए । क्योंकि हमारे यहां छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से भी पर्यटन के लिए सियादेवी स्थल में आते हैं और पिछले बार हम दर्शन करने गए थे ।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, मंत्री जी ने कह दिया है कि शीघ्र बनाया जाएगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमें समय सीमा बता दीजिए कि इस कार्य को कितने दिनों में स्वीकृत किया जाएगा, हम बैठ जाएंगे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हम अरूण भैया से निवेदन करना चाहेंगे कि समय-सीमा बता दीजिए कि हम 15 दिन में या एक महीने में पूरा करेंगे । यह डबल इंजन की सरकार है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी समय अवधि बता दीजिये, मैं बैठ जाऊंगी। आप हमें एक नियत समय दे दीजिये कि कितने दिनों में यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा ? बस आप, काम स्वीकृत करने की समय अवधि बता दीजिये। समय सीमा, एक महीने, एक सप्ताह, दो महीने, साल भर में, दो साल, तीन साल, पांच साल कितने दिन लगेंगे, आप बता दीजिये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह ओरिजनली डबल इंजन की सरकार है। दोनों एक साथ पूछ रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक साथ नहीं पूछेंगे तो कैसे करेंगे ? यह सिर्फ जिले का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, उस सरकार में बिना प्रशासकीय स्वीकृति हजारों टेण्डर लगे थे और कमीशन खाकर चले गये। प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप 15 साल कमीशन खाते रहे।

एक माननीय सदस्य :- आप लोग किये होंगे। (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- दूसर के लइका, चाटे मुंह भर रूआ-रूआ। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आपके मंत्री यहीं हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपका स्काई वाक दिख रहा है।

श्री राजेश मूणत :- एक मिनट सुन तो लो। आप लोग 5 साल में कुछ नहीं कर पाये, अब पांच साल में क्या कर लोगे, उस पर ज्यादा मत जाओ। आप मंत्री रही हैं, सीनियर मंत्री हैं, सीनियर विधायक हैं। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेण्डर कहां लगता है, किस नियम में लिखा है, बता दो ? रायपुर में तीन घोषणा हुई है, जिसका भूमि पूजन हो गया, उसकी आज तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ टेण्डर बचा था, उसको रोका गया है। यह पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम रोका गया है। आप हमको समय अवधि बताईये, हम उसमें तैयार हैं। आप समय अवधि बता दीजिये कि एक महीने, दो महीने, एक साल, 3 साल में करायेंगे ? आप जो भी अविध बतायेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन समय अवधि बता दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। जब आप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद श्री भूपेश बघेल की सरकार बनी तो पहले दिन आदेश हुआ कि जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, जो स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिन कामों का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुआ है, वे सारे काम निरस्त किए जाते हैं। मतलब सिलवेनिया बल्ब जैसे विज्ञापन आता है न कि घर सारे के सारे बल्ब बदल दूंगा, आपने उस तरह बदल दिया। आप करो तो पुण्य और हम करे तो पाप, यह कहां का नियम है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भइया, हम आपसे पाप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वही नियम है, आप ही का नियम है, हम लोगों ने उसको लागू कर दिया। अब सब निरस्त होगा, आप बिलकुल मुगालते में मत रहिये, सारे काम निरस्त कर दिए जायेंगे। अगर काम शुरू नहीं हुआ है तो निरस्त होगा ही। नहीं होगा तो हम बोलकर निरस्त करवायेंगे। क्योंकि हमारा काम भी वैसे ही निरस्त हुआ था।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक माननीय सदस्य :- आप नया कुछ नहीं करेंगे क्या ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मुगालते में नहीं हैं भईया। हम केवल आश्वासन चाह रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप जनता की सेवा के लिए चुने गये हो। हमारे क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधा का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। इसमें आप समय अवधि बता दीजिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष जी, 5 साल तक प्रशासकीय काम व्यवस्थाओं में मूक बधिर रहने वाले लोग आज आहूजा साउण्ड सर्विस बने हुए हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम लोगों के चलते हुए काम रोक दिया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोगों का भी काम रोका गया है, लेकिन आप लोग शांत हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर पांच साल बाद आवाज कैसे खुलने लग गई ?

श्री अनुज शर्मा :- एक ठन हाना हे गा, आन के लइका, चाटे मुंह भर रूंआ-रूंआ। अभी हमन चालू करे हन अउ तुंहर मुंह हा अभी ले रूआ-रूआ हो गय हे। थोरकन अगोर लव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यह क्षेत्र की जनता का सवाल है। हमारे यहां की आम जनता सड़क पर बहुत परेशानी हो रही है। उप मुख्यमंत्री जी, आप मुझे समय अवधि बता दीजिये ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कामों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और शीघ्र ही वह निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। मैं आपसे एक बार और कह दे रहा हूं कि यह विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हम छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत पूरक प्रश्न हो गया। चलिये महंत जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ क्लीयर हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- इससे ज्यादा क्लीयर नहीं हो सकता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदणीय अध्यक्ष महोदय, एक साल बोल दीजिये, दो साल बोल दीजिये, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप समय अवधि बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, हो गया, बहुत प्रश्न हो गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्योंकि क्षेत्र की जनता परेशान है।

श्रीमती भावना बोहरा :- 5 साल के अंदर तो हो ही जायेगा। 5 साल के बाद का मौका नहीं लगेगा।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, बहुत हो गया। जवाब आ गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>वन मंडल मरवाही के अंतर्गत अनियमितताओं की जांच तथा कृत कार्यवाही</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (*क्र. 268) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन मंडल मरवाही के कार्यों की विगत चार वर्षों में कराई गई जांच में पाई गई अनियमितताओं की जांच के निष्कर्षो के आधार पर संस्थित कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति क्या-क्या है? **(ख)** क्या अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच लम्बित है ?यदि हां तो इसका आदेश कब हुआ था, कब तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था? यदि इसमें विलम्ब हुआ है तो उसके कारण क्या हैं तथा उत्तरदायित्व किनका-किनका है ? जांच कितनी अवधि में पूरी कराई जायेगी ? **(ग)** निष्फल व्ययों के कारण शासन को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** मरवाही वनमण्डल अंतर्गत विगत चार वर्षों में कराई गई जांच में पाई गई अनियमितताओं की जांच के निष्कर्षो केआधार पर 07 प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्धअनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संस्थित कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है ।(ख)** अनियमितताओं के कुल 72 प्रकरण जांच हेतु जांचअधिकारी के पास लंबित है। जांच की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण की जावेगा। लंबित जांच प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब'अनुसार है ।(ग)** निष्फल व्ययों के कारण शासन को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

डॉ; चरण दास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपने तो मेरा प्रश्न तो पढ़ लिया होगा। जवाब देने के समय थोड़ा सा आपका विशिष्ट ध्यान चाहूंगा। जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विष्णुदेव जी की सरकार है, कोई चिंता की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी भूमिका बांध लेता हूं, मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, करिये।

डॉ. चरण दास महंत :- वह भी भूमिका बांधेंगे। नल जल योजना 33वें नंबर थी, दो महीने में विष्णुदेव की सरकार के आते ही 24वें नंबर पर आ गई। इनका काम बंद हो गया । मेरा भी बता दीजिए कि क्या करेंगे ? मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आपने लिखित उत्तर में बताया है कि 72 प्रकरण जांच हेतु लंबित है और उसमें यह भी बताया है कि 220 में 6 शिकायतों की जांच के लिये जो आदेश हुये थे, 15 दिन में जांच प्रतिवेदन दे दिया जायेगा, यह कहा गया है । अभी तक वह 15 दिनों की जांच खत्म नहीं हुई है । तीसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2021 की 21 शिकायत, वर्ष 2022 की 30 शिकायत, वर्ष 2023 के 15 शिकायत, इस तरह से 72 शिकायत जिस पर लगभग 40 करोड़

रूपये के धोखाधड़ी का, घपला का आरोप है । मरवाही में यह असाधारण विलम्ब का कारण क्यों हो रहा है ? आपके विभाग की मेहरबानी किसके लिये है ? पुराने मुख्यमंत्री के लिये, वर्तमान मुख्यमंत्री के लिये, गरीब मरवाही की जनता के लिये ? मेहरबानी किसके लिये है, इतना बता दीजिए ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से ही यह स्पष्ट कर दिया कि मेहरबानी पुराने मुख्यमंत्री के लिये है कि नये मुख्यमंत्री के लिये है, यह तो ज्यादा अच्छे तरीके से वह जानते हैं । जब वह अध्यक्ष रहे हैं तो उन्होंने इस प्रश्न को बार-बार सदन में सुलझाने की कोशिश हुई । कभी कका तो कभी चचा के चक्कर में यह पूरा मामला फंसता गया । हम विश्वास दिलाते हैं कि यह पूरा मामला जो हमारे संज्ञान में आया है, अभी 7 मामलों का जांच प्रचलन में है । हमारे जो लगभग 72 मामले हैं, उन मामलों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे, उसमें हम जांच करेंगे । जो भी दोषी होगा, उस पर विधिसम्मत कार्यवाही है, उसे करेंगे ।

डॉ.चरणदास महंत :- देखिये, आप सीरियस नहीं है, दिख रहा है । आपने वर्ष 2020 में सिर्फ 6 शिकायतों की जांच की थी और यहां पर कहा था कि 15 दिन में जांच पूरी करके कार्यवाही होगी । मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ । अभी आप वन मंत्री हैं । वर्ष 2020 की 6 शिकायतों पर कोई कार्यवाही तो हुई नहीं है, अब बाकी के 72 प्रकरणों में विशेष रूप से आपके विभागीय लोग उत्तरदायी हैं । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी-अभी आये हैं और आप इसके लिये उत्तरदायी हैं । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि 40 हजार करोड़ का घपला है, उसमें कुछ हिसाब-किताब होगा । मैं तो सिर्फ आपके विभाग की जो मेहरबानियां हैं, उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किस पर मेहरबानियां हैं ? आपने मरवाही में देखा कि पूरे आदिवासी क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं हुये हैं । मनरेगा का भी 4.50 करोड़ का काम आया, वह भी नहीं हुआ । सिर्फ पैसे खा गये ? यह सीरियस मामला है, इसे आप भी गंभीरता से लें । आप स्वयं आदिवासी के बच्चे हैं और हम लोग कितनी मुश्किल से इन चीजों को खोज-खोज कर ला रहे हैं । आप देखिये, आपका विभाग कब तक कार्यवाही करेगा, बताईये ?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 79 मामले आये थे, इसमें 7 मामलों पर जांच चल रही है और बाकी जो 72 मामले हैं, उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि 6 महीने के भीतर पूरी जांच हो जाये और उसमें जो भी दोषी हो, उसके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे । यह हमारी प्रायरटी पर रहेगा और 7 मामलों में अलग-अलग 35 अधिकारियों पर जांच संस्थित किया गया है । इस पर कार्यवाही प्रचलन में है । इसमें जो भी दोषी होगा, उसके आधार पर हम कार्यवाही करेंगे ।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, जिन पर जांच संस्थित किया गया है, उसमें से क्या सभी कर्मचारी और अधिकारी आज भी मरवाही में कार्यरत हैं ? आपको इसकी जानकारी है ?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, सभी तो नहीं है, कुछ कर्मचारी वहां पर अभी भी कार्यरत हैं ।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, कुल कितने अधिकारियों पर यह कार्यवाही प्रस्तावित थी, कितनी जांच चल रही है, कितने वहां पर पदस्थ हैं, कितने बाहर चले गये और कितने अभी तक कहीं संलग्न है, यह बता पायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- उपलब्ध करा दीजिएगा । काफी डिटेल्स प्रश्न है, माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी पहुंचा देंगे ।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर है। यदि वह चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, महंत जी के ही प्रश्न में एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं और कुछ बताना भी चाहता हूं। महंत जी ने बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्च्यन पूछा है, यह बहुत ही संवेदनशील है, इसमें बहुत ही खतरनाक परिणाम भी आ सकते हैं। क्योंकि इन पिछले चार वर्षों में मरवाही वनमण्डल ही एक ऐसा अजूबा वनमण्डल था, जहां रेंजर और डिप्टी रेंजर डी.एफ.ओ. के पद पर बैठे थे। (मेजों की थपथपाहट) जंगल का क्षेत्र समझकर पता नहीं वहां पर क्या-क्या हुआ है। मंत्री जी आप तो आदिवासियों के मसीहा है। आपको किसी के डरने की क्या जरूरत है ? यह न आपके कार्यकाल का काम है, न ही इससे आपका कोई लेना-देना है। आप इसमें कड़क कार्रवाई करवा दीजिये। महंत जी हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष है, हमारी सरकार उनकी बात का सर्वोपरि सम्मान कर रही है और हम करते रहेंगे (मेजों की थपथपाहट)। लेकिन यह रेंजर वगैरह को डी.एफ.ओ. बनाने की गलती मत करियेगा। यह जो काम हुआ है, आपको उसके लिये पूछताछ करने के लिये दुबई भी जाना पड़ेगा। यहां दुबई का आदमी भी आकर बैठा हुआ था। आपको थोड़ा व्यापक कार्यक्षेत्र, ई.डी. जैसे फैलाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप ईशारा समझ गये होंगे, उतना ही काफी है। धर्मजीत जी, वह आपका ईशारा समझ गये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2021-22 में।

अध्यक्ष महोदय :- क्या यह मरवाही क्षेत्र से रिलेटेड है ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जी। वर्ष 2021-22 में मरवाही वनमण्डल के गौरेला परिक्षेत्र में मनरेगा से 33 कार्य स्वीकृत हुए थे। इनकी शिकायत होने पर जांच कराई गई थी। यह सभी कार्य ऑनलाईन साईट पर आज भी अपूर्ण बताये जा रहे हैं। क्या यह सही है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मनरेगा के काम बताये गये हैं। उसमें मैंने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के तहत बहुत सारे कार्य करने थे, कुछ सामग्रियां भी क्रय करनी थी। उनको बिना प्रक्रिया पूर्ण किये क्रय कर लिया गया और उसके कारण दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। यह पूरा कार्य अभी-भी अपूर्ण है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा भी मरवाही से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, पूछिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, प्रकरण क्र. 01 (क) में राजकुमार शर्मा के प्रकरण की वर्तमान स्थिति में बताया गया कि आदेश क्र. 24.01.2024 द्वारा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। कृपया यह बतायें कि यह कौन-सा नियम है जिसमें यह प्रावधान है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सकता है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया था। अब हम इसको रि-ओपन कर रहे हैं और उस पर जो उचित रहेगा, वह कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा। श्रीमती भावना बोहरा।

कबीरधाम जिला अंतर्गत स्वीकृत सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

5. (*क्र. 196) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिला अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना , जलाशय निर्माण, एनीकट, स्टापडेम निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि के, कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? विकासखण्डवार /कार्यवार/वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ? कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं अप्रारम्भ हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार/कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) **: (क)** कबीरधाम जिला अंतर्गत जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक सिंचाई परियोजना, जलाशय, एनीकट, स्टापडेम निर्माण हेतु कुल 06 कार्यों की राशि रू. 22097.56 लाख की स्वीकृति हुई है। विस्तृत विकासखण्डवार कार्यवार वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में से 06 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। 01 कार्य पूर्ण तथा 05 कार्य अप्रारंभ है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की 01 शिकायत प्राप्त हुई है। वर्ष 2021 में विकासखण्ड सहसपुर लोहारा में स्वीकृत बीजाबैरागी-डोमाटोला एनीकट कम काजवे वर्ष 2022 में पूर्ण किया गया। इस कार्य में वर्ष 2023 में अति वर्षा के दौरान एनीकट के अपस्ट्रीम के बांयी ओर विंगवाल, डाऊनस्ट्रीम के बांयी ओर प्रोटेक्शन

[2] परिशिष्ट ''दो''

एवं बांयी तरफ मिट्टी का एप्रोच रोड कार्य में आंशिक क्षति हुई है। कार्य संधारण अवधि में क्षतिग्रस्त होने के कारण संबंधित निर्माण एजेन्सी द्वारा क्षतिग्रस्त भाग का सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरधाम जिला धान और गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। वहां धीरे-धीरे कई क्षेत्रों में वॉटर लेवल बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है तो उससे संबंधित जो प्रश्न है, जो वहां की पूरी जनता की तरफ से एक मांग आयी थी कि यह प्रश्न विधान सभा में होना चाहिए। वह यह है कि कबीरधाम जिला के अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर दिसम्बर 2023 तक जो सिंचाई परियोजना, जलाशय निर्माण, एनीकट और स्टापडेम है, उनके लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है ? उनमें से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य अपूर्ण है ? और जिन कामों में अनियमितता और भ्रष्टाचार पाया गया है, उनमें कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई है ? और कार्रवाई होने के बाद भी वापस उन्हीं लोगों के नाम पर टेण्डर दिया गया था, इसका क्या कारण था ? मुझे यह जानकारी चाहिए थी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कबीरधाम जिला के अंतर्गत सिंचाई परियोजना, जलाशय निर्माण और एनीकट व स्टापडेम के निर्माण के लिये जो राशि स्वीकृत की गयी, उसमें बीजाबैरागी-डोमाटोला एनीकट कम काजवे का काम पूर्ण किया गया है। लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण वहां पर एनीकट का कुछ भाग, जैसे एप्रोच रोड है, वह बह गयी थी। वह रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण फिर से उसका काम करवाया जा रहा है। इस पर हमारी प्रॉयरिटी है कि हम जल्स से जल्द उस काम को संपूर्ण करवा दे ताकि वहां के लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। उसके अलावा भी हम लोगों ने रामपुर बड़ेरा व्यपवर्तन योजना के काम को भी अपनी प्रॉयरिटी में रखा है। हॉफ नदी पर व्यपवर्तन योजना को भी हमने अपनी प्रॉयरिटी में रखा है। उसी तरीके से घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय और बरोदाखुर्द जलाशय को भी हम लोगों ने अपनी योजनाओं में रखा है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हाफ नदी की बात हो रही है। वहां पर हाफ नदी एक बहुत बड़ा मैटर है। जब दिनांक 5.12.2022 को इसका विषय आया था तो लगभग इसको साल, सवा साल होने आ गया। अभी भी इसके कार्य अप्रारंभ हैं और इस क्षेत्र को देखते हुए, इसकी मांग बहुत ज्यादा है तो मेरा यही निवेदन है कि यह कार्य जितना जल्दी हो सके, वहां प्रारंभ कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय था कि वहां पर एक भ्रष्टाचार का मामला आया था। कबीरधाम जिले के विकासखण्ड-सहसपुर लोहारा में स्वीकृत बीजाबैरागी-डोमाटोला एनीकट कम काजवे योजना का जो मैटर है तो यह वापस से भ्रष्टाचार पाने के बाद भी, उसी कंपनी और उन्हीं को यह काम ठीक करने के लिए दिया गया, जिसको ठीक करने के बाद भी, अभी तक उसकी जांच अपूर्ण है। तो अगर एक बार कोई जांच में भ्रष्टाचार पाया गया है और उनने दोबारा उसी को वापस काम दिया है और उसके बाद उसकी जांच भी नहीं हुई तो मुझे लगता है कि एक बार यह विषय जांच में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप जांच पूरी कब तक करा लेंगे? आप इतना ही बता दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने हाफ नदी व्यपवर्तन योजना के संदर्भ में जानकारी चाही है। पहली बात तो यह है कि इसकी निविदा हेतु 7 ग्रुप, एक जो शीर्ष कार्य है और बाकी जो 6 ग्रुप नहर कार्य है, हम लोगों ने उसकी निविदा आमंत्रित की थी और उसमें दो निविदाकारों ने भाग लिया। बाकी जो नहर का काम है अभी तक किसी निविदाकार ने उस काम में भाग नहीं लिया है। उसके कारण से यह कार्य थोड़ा सा लंबित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो माननीय विधायक जी ने कहा कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उसमें जो बीजाबैरागी-डोमाटोला एनीकट के अपस्ट्रीम के बांयी ओर विंगवाल, डाऊनस्ट्रीम के बांयी ओर प्रोटेक्शन एवं बांयी तरफ मिट्टी का एप्रोच रोड है, वह बह गया था फिर से वहां के जो ठेकेदार हैं उसी ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है ताकी वहां के लोगों को उसका लाभ मिल सके।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विषय और था। हम जो पड़कीपार डैम की बात करते हैं जिसका सर्वे भी हो चुका था और सर्वे होने के बाद में, उससे लगभग 40 गांव प्रभावित थे। जहां आज भी वॉटर लेवल की स्थिति यह है कि वहां सुबह 4.00, 5.00 बजे लाईन लगाकर, नलों से पानी ले रहे हैं और दूसरा सुतियापाट नहर विस्तारीकरण के बाद जो लगातार पिछले 5 सालों में बहुत आन्दोलन भी हुए हैं। मेरा इसमें एक ध्यानाकर्षण और निवेदन भी रहेगा कि यह विषय गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये। आप क्या चाहते हैं, यह बताईये ?

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय सर्वे में आ चुका है, लेकिन पिछले 5 सालों में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि आगे इस विषय को कार्यवाही के लिए लेना चाहिए, जो पड़कीपार डैम और सुतियापाट नहर विस्तारीकरण का कार्य है ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

<u>रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन भारत माला मार्ग निर्माण हेतु वृक्षों की कटाई</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

6. (*क्र. 244) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत रायपुर से विशाखापटनम् 6 लेन भारत माला योजनान्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु कितने वृक्षों को काटा गया है? कितने प्रजातियों की वृक्ष काटने की अनुमति कब और

किससे ली गई ? किस-किस तिथि को 5वीं अनुसूची के तहत् ग्राम सभा से अनुमति ली गई ? ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** कितने भूमि स्वामियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण तैयार किया गया है और कितनी राशि का मुआवजा प्रदान किया गया ? कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई ? भूमि स्वामियों का नाम, ग्रामवार राशि सहित विवरण देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** धमतरी वनमण्डल के तहत् सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन भारत माला योजनान्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु वनक्षेत्र अंतर्गत 62728 वृक्ष एवं राजस्व क्षेत्र अंतर्गत 1489 वृक्ष इस प्रकार कुल 64217 वृक्षों को कांटा गया है। कांटे गये वृक्षों की प्रजातिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें "प्रपत्र-अ" अनुसार है ।**सिहावा विधान सभा अंतर्गत वनक्षेत्र में अवस्थित 12 प्रजातियों के कुल 62728 वृक्ष को कांटने की अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पा.) छ.ग. रायपुर द्वारा दिनांक 28.12.2022 को तथा राजस्व क्षेत्र में अवस्थित 10 प्रजातियों के कुल 1489 वृक्षों को कांटने की अनुमति कलेक्टर जिला धमतरी द्वारा क्रमशः दिनांक 21.12.2022, दिनांक 23.01.2023 एवं दिनांक 23.01.2023 को प्रदान किया गया है। वृक्ष कांटने की अनुमति की **जानकारी पुस्तकालय में रखें "प्रपत्र-ब" अनुसार है ।** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रकरणों में वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दिये जाने के उपरांत ही वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही की जाती है । एफ.आर.ए प्रमाण पत्र **पुस्तकालय में रखें "प्रपत्र-स"' अनुसार है ।**दिनांक 21.02.2022 को सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद के ग्राम राजपुर, केवारडीह, सरगी, से संबंधित पेड़ों को काटने की अनुमति दी गयी है। ये ग्राम 5वीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत शम्मिलित नहीं है। दिनांक 21.02.2022 को सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग नगरी के ग्राम करैहा, सांकरा, चिवरी (माल), चिवरी (रै.), कोटरवाही ग्रामों के वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त ग्रामों के वृक्षों को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 241 तथा छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों मे हित) सशोधन अधिनियम 2022 के नियमों के अधीन जारी की गई है। सशोधित अधिनियम अनुसार वृक्षों को काटे जाने हेतु ग्रामसभा की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नही होने के कारण अनुमति नहीं ली गई है। **(ख)** सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद में 138 एवं अनुविभाग नगरी में 142 कुल 280 भूमि स्वामियों के विरुद्ध राजस्व प्रकरण तैयार किया गया। सिहावा विधान सभा अंतर्गत कुल 125911487/-रू. मुआवजा राशि प्रदाय कि गई। सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद में 68061609/-रु. एवं अनुविभाग नगरी में 57249878/-रु. कुल 125911487/-रु. मुआवजा राशि प्रदाय कि गई। भूमि स्वामियों के नाम, ग्रामवार राशि सहित जानकारी पृथक से अनुविभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें "प्रपत्र-द" एवं "प्रपत्र-ई" अनुसार है ।**

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने, माननीय मंत्री जी से रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन भारत माला मार्ग निर्माण हेतु वृक्षों के कटाई के संदर्भ में पूछा था। उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। माननीय मंत्री जी मुआवजा के संबंध में यह बताने का प्रयास करेंगे कि मेरे विधान सभा में मंथिर साहू एक किसान है, अभी तक उसका मुआवजा अप्राप्त है, आप यह बतायें कि आप कब तक उसको दिला देंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो वृक्षों की कटाई की गई है उसके एवज में किन स्थानों पर वृक्ष लगाए जाएंगे और कितनी राशि में लगाए जाएंगे?

अध्यक्ष महोदय :- आप उस किसान को मुआवजा कब तक दिला देंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां पर मुआवजा की राशि है वहां पर कलेक्टर को मुआवजे की राशि का प्रकरण सौंपा गया है उसके माध्यम से जो प्रभावित हैं उनको वह राशि प्रदाय की जा रही है सिंहावा विधान सभा के अंतर्गत इसमें लगभग 12 करोड़ 59 लाख 11 हजार कुल राशि है और उस राशि को ..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप कब तक मुआवजा दिला देंगे, आप समय बता दीजिए ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय, मैं दिखवा लूंगा। अभी जानकारी नहीं आयी है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रही हूँ कि अभी भी एक किसान मंथिर साहू का मुआवजा रूका हुआ है और वहां पर काम भी रूका हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या जो किसान का नाम बता रही हैं, आप उसको दिखवा लेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं यह दिखवा लूंगा।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो भारत माला मार्ग में जो वृक्षों की कटाई हुई है उसमें तत्काल अनुमति मिल गई और उसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में दुघली से मेघा सड़क है जिसमें आज तक सड़क बनने का कार्य लंबित है वहां पर अभी तक वन विभाग से अनुमति नहीं दी जा रही है तो वहां यह अनुमति कब तक दी जाएगी ? और वहां कब तक सड़क का निर्माण होगा ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो माननीय सदस्या ने भारत माला मार्ग की जानकारी चाही है। आपने अभी जो प्रश्न पूछा है मैं उसके संदर्भ में दिखवा लूंगा कि उसकी क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। श्री दलेश्वर साहू।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वन विभाग से संबंधित है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रही हूं कि उस रोड की अनुमति कब तक दी जायेगी, वह रोड कब तक बनेगी? वह रोड एक साल से लंबित है। वह रोड स्वीकृत है, उस रोड की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। सिर्फ वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण से वह रोड नहीं बन पा रही है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यहां पर जो जानकारी पूछी है, वह केवल भारतमाला योजना के तहत में जानकारी पूछी है, अन्य सड़कों के बारे में जानकारी नहीं पूछी है। यदि अन्य सड़कों के बारे में जानकारी चाहिए तो अलग से प्रश्न पूछ लें तो मैं उसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय मंत्री जी मैं इसलिए कह रही हूं कि यह फॉरेस्ट का है, आपने भारतमाला योजना में पूरे जंगल की कटाई कर दी है। तो जब उस भारतमाला योजना में रोड बनाने के लिए अनुमति मिल सकती है तो उस रोड की अनुमति क्यों नहीं मिल सकती ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी नये रोड के बारे में बता दीजिए। चलिये, दलेश्वर साहू जी।

<u>राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये जा रहे कार्य</u>

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

7. (*क्र. 292) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक जे. जे. एम. के तहत कौन-कौन से कार्यों के लिए निविदा जारी कर, किस एजेंसी के साथ अनुबंध किया गया है? अनुबंध अनुसार कहां-कहां, क्या-क्या कार्य किया जाना हैं? विकासखंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता, घरेलू कनेक्शन, पाईपलाईन की लंबाई एवं मेन पाईपलाईन की लंबाई, स्टेड पोस्ट की संख्या एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात मूल्यांकन सत्यापन करने वाले अधिकारी की जानकारी एजेंसीवार देवें? कार्य प्रारंभ नहीं होने एवं अधूरा छोड़ने पर एजेंसी पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है? जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : राजनांदगांव जिले में जलजीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक जे.जे.एम. के तहत् कार्यो के लिए निविदा जारी कर, एजेंसी के साथ अनुबंध, अनुबंध अनुसार किये गये कार्य की जानकारी विकासखंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता, घरेलू कनेक्शन**,** पाईपलाईन की लंबाई एवं मेन पाईपलाईन की लंबाई, स्टेड पोस्ट की संख्या एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मूल्यांकन, सत्यापन करने वाले अधिकारी की एजेंसीवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। कार्य प्रारंभ नहीं होने एवं अधूरा छोड़ने पर एजेंसी पर की गयी कार्यवाही, की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये जा रहे कार्य को लेकर है। इस विषय में इस सभा में काफी चर्चा हुई है। उसी प्रश्न का जवाब दिनांक 02.03.2023 को अतारांकित प्रश्न क्रमांक 170 में भी वहीं जवाब आया है, अभी आज का जो प्रश्न दिनांक 07.02.2024 में लगा हुआ है, दोनों प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास है। यह विरोधाभास होने का क्या कारण है ? माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसी प्रश्न का अलग-अलग प्रश्नों में अलग-अलग उत्तर आने का क्या कारण है ? माननीय मंत्री जी अगर कहेंगे तो मैं क्रमांक सहित बता देता हूं। उस प्रश्न के जवाब में पानी की टंकी को लेकर उस समय निरंक बताया गया है और आज के प्रश्न के जवाब में निर्माण होना बताया है। माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि विरोधाभास उत्तर क्यों हैं और अगर ऐसा उत्तर है जिन्होंने ऐसा उत्तर दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी का प्रश्न यह है कि क्या राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक जे.जे.एम. के तहत कौन-कौन से कार्यों के लिये निविदा जारी कर, किस एजेंसी के साथ अनुबंध किया गया है ? इसका जवाब विस्तार से माननीय सदस्य को दिया है। अनुबंध के अनुसार कहां-कहां, क्या-क्या कार्य किया जाना है, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी है। विकासखंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता आदि की जो भी जानकारी पूछी है, उसकी विस्तृत जानकारी दी है। काम समय पर हो। अभी माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में 88 प्रतिशत घरो में घरेलू कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है और कार्यों में प्रगति लाने के लिए 26 कार्यों की निविदा निरस्त की है। निविदा निरस्त करने के बाद उनकी अमानत राशि 10,14,950 रुपये जब्त किया है और पुन: निविदा करने पर शासन को 1 करोड़ 74 लाख 41 हजार रुपये की बचत हुई है। सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी की आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हमारी सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं, यह प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाह रहा हूं कि आपने उसी प्रश्न का जवाब अलग पानी टंकी निर्माण बताते हैं और उसी प्रश्न का जवाब इस प्रश्न में अलग बताते है। मैंने आपको बताया है कि पहले भी यह प्रश्न लगाया है, दिनांक 02.03.2023 प्रश्न क्रमांक 170 है, आप जवाब देख लीजियेगा। आपके पास पहले की जानकारी तो नहीं होगी, उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेंगे। आज के प्रश्न में 86, 87, 88 भोथली, बगमार, माहुलझोपड़ी में उस समय पानी टंकी का निर्माण बताते हैं और अभी इसी जगह में निरंक बताते हैं। यह विरोधाभास उत्तर जिसने भी दिया है, आपको जो गुमराह करने का प्रयास किया है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री अरूण साव :- मैं उसे दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। ठीक है। आपका और कोई प्रश्न है ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है जैसे आप पी.एच.ई. का सब काम कराते हैं तो निविदा, अनुबंध में किस विभाग की शर्तों को अनुरूप मानकर लागू करते हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के विस्तृत दिशा निर्देश हैं, उन दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस पर काम होता है।

श्री दलेश्वर साहू :- आपके विभाग का अपना शेड्यूल है या लोक निर्माण विभाग या किसी विभाग के सधे हुए शेड्यूल को अपनाकर निविदा में शर्तें रखते हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के बहुत विस्तृत दिशा-निर्देश हैं। उन दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभाग काम करता है।

अध्यक्ष महोदय :- कुवर सिंह निषाद जी।

<u>तहसील गुण्डरदेही, अर्जुन्दा एवं देवरी में राजस्व प्रकरणों का निराकरण</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

8. (*क्र. 175) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही के तहसील गुण्डरदेही, अर्जुन्दा एवं देवरी में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 31 दिसंबर तक फ़ौती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं ऑनलाईन के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? तहसीलवार बतावें? (ख) प्रश्नांक (क) के आवेदनों मे से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है? कितने आवेदन शेष हैं? (ग) शेष आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही के तहसील गुण्डरदेही, अर्जन्दा एवं देवरी में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 31 दिसम्बर, तक फौती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं आनलाईन के कितने आवेदन प्राप्त हुए तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

तहसील	मदवार प्राप्त आवेदनों की संख्या								
	फौती/नामांतरण			बंटवारा			सीमांकन		
	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (31 दिसम्बर तक(	योग	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (31 दिसम्बर तक(	योग	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (31 दिसम्बर तक(	योग
गुण्डरदेही	1828	1810	**3638**	682	551	**1233**	273	296	**569**
अर्जन्दा	2258	2570	**4828**	595	475	**1070**	152	94	**246**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मार्री बंगला देवरी	223	167	**390**	136	108	**244**	23	28	**51**
योग-:	**4309**	**4547**	**8856**	**1413**	**1134**	**2547**	**448**	**418**	**866**

(ख) प्रश्नांक (क) के आवेदनों में से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है, कितने आवेदन शेष हैं कि जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील	फौती/नामांतरण		बंटवारा		सीमांकन	
	निराकरण	शेष	निराकरण	शेष	निराकरण	शेष
गुण्डरदेही	3186	452	1175	58	544	25
अर्जुन्दा	4662	166	1041	29	235	11
मार्री बंगला देवरी	367	23	223	21	49	2
योग :	**8215**	**641**	**2439**	**108**	**828**	**38**

(ग) शेष सभी आवेदन समय-सीमा के भीतर लंबित है। समय-सीमा में सभी प्रकरणों का निराकरण कर दिया जावेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न किया था। उनके माध्यम से प्रश्न में जवाब दिया गया है कि अभी तक फौती का 641, बंटवारा का 108 एवं सीमांकन का 38 प्रकरण लंबित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि साल-साल भर से अभी तक नामांतरण का प्रकरण रूका हुआ है तो क्या आप तत्काल आदेश जारी कर इसका निराकरण करेंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2021-2022 एवं वर्ष 2022-2023 में फौती/नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और ऑनलाईन के माध्यम से कितने आवेदन प्रापत हुए, कितने आवेदन का निराकरण हुआ और कितने आवदेनों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा, इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि वर्ष 2021-2022 में तीनों तहसील में कुल 4309 आवेदन और वर्ष 2022-2023 में 4547 आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुल 8856 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8215 मामले का निकराकरण कर दिया गया है और 641 मामले लंबित हैं, जो समय-सीमा के भीतर हैं। इसमें समय निर्धारित किया गया है कि जो अविवादित मामले हैं, उनका तीन माह के अंदर निपटारा किया जाएगा और जो विवादित मामले हैं, उनका छः माह के अंतर निपटारा किया जाएगा। जो प्रकरण शेष हैं, वह समय-सीमा के अंदर हैं और इनका निराकरण समय पर किया जा सकेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर अर्जुन्दा मेरा गृह निवास है और सबसे ज्यादा प्रकरण वहीं लंबित है। वहां फौती का अभी तक 452 प्रकरण लंबित हैं। तहसील कार्यालय में लगातार जाने के बाद उसमें कुछ गति आई है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जाना चाहूंगा कि कितनी जल्दी से इस प्रकरण का निराकरण कर देंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- देखिये, राजस्व विभाग के जितने भी लंबित प्रकरण हैं, उसका समय-सीमा में निपटारा हो, इसके लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लाया गया है और इस अधिनियम में पहले जो समय लगता था कि न्यायालयीन प्रकरण में अपील करने का, उनके लिए भी पहली बार समय-सीमा निर्धारित की गई है। उनका भी छः माह के अंदर निराकरण हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत छोटा प्रश्न है। फौती का मामला है। जल्दी से जल्दी निराकरण हो जायेगा।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह समय-सीमा में निराकरण हो जायेगा। समय-सीमा के बाहर कोई प्रकरण नहीं है?

अध्यक्ष महोदय :- तुरंत निराकरण हो जायेगा। और कोई ज्यादा मामला नहीं है। आपको और कुछ पूछना है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है। मार्री बंगला देवरी, जो 96 गांवों को मिलाकर एक अलग से तहसील बना है। पहले सारे उप तहसील बनने के कारण जितने भी प्रकरण होते थे, उनको डौंडीलोहारा जाना पड़ता था। तहसील बनने के बाद वहां के लोगों को सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अनुभाग स्तर के जितने भी प्रकरण हैं, उनके लिए आज भी उन 96 गांव के लोगों को डौंडीलोहारा जाना पड़ता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अनुभाग स्तर के प्रकरण के निराकरण के लिए यदि मार्री बंगला देवरी तहसील में 2 दिन का लिंक कोर्ट के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी का कोर्ट लगा दिया जाय तो उन 96 गांवों के लोगों को एक सुविधा मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप आदेश जारी करके वहां सप्ताह में 2 दिन का लिंक कोर्ट के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- मार्री बंगला देवरी तहसील में जो प्रकरण हैं, उसमें केवल अभी वर्ष 2022-2023 में केवल 2 प्रकरण लंबित हैं। वहां पर बंटवारा, नामांकन जैसे 223 प्रकरण आए हैं, उसमें 21 शेष हैं। 39 के निराकरण के 2। उस हिसाब से वहां पर प्रकरण लंबित नहीं हैं। काम समय-सीमा के अंदर हो रहा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता को डौंडीलोहारा जाना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां जाकर निपटारा करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि यहां पर निपटारा हो जाए तो उनको सुविधाएं मिल जाएगी तो उनके आने-जाने का पैसे की बचत हो जायेगी। क्योंकि यदि

महाराजपुर वाले आदमी को लौंडीलोहारा जाना पड़े तो 40-45 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वहां पर एस.डी.एम. साहब का लिंक कोर्ट लगा दें तो जनता को सुविधा मिल सकती है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक बार इसको दिखवा लेंगे, विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- भोलाराम साहू जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी से एक और निवेदन था।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने आवश्वासन दे दिया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि चूंकि मेरे निजी निवास अर्जुंदा नगर में कुछ व्यवसाय करने वाले लोग जो रोड से लगी हुई वाटर कोष की जमीन होती है । उसको पूरा पाट दिये हैं और उसमें अपना व्यापार कर रहे हैं । उसी बगल में एक व्यक्ति प्लॉटिंग का काम कर रहा है, उसकी लगभग 20 से 25 डिसमील जमीन जो कि आज रोड से लगी हुई है । मैं समझता हूं कि वह करोड़ों रूपये की जमीन है । उसको अपने निजी काम के लिये वहां पर पाट दिये हैं । मैंने संबंधित अधिकारी और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया था कि वह जमीन हम लोग खुलवा दें । वह पुल बनवा लें, ताजमहल बनवा लें उससे हमको मतलब नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो शासकीय जमीन है, वाटर कोष की जमीन है उसे यदि खोल दें ताकि किसानों को सिंचाई के लिये हम वाटर कोष के माध्यम से जो पानी देते हैं उसके लिये वहां तक उनको सुविधायें प्रदान हो सके ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये संदर्भ से अलग है । इसकी आवश्यकता नहीं है । जो प्रश्न है उससे बहुत हटकर है । भोलाराम जी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से उसी में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- वह बहुत और अच्छा जवाब दे चुके हैं ।

राजनांदगांव जिले में आपदाओं के तहत जनहानि होने पर प्राप्तन क्षतिपूर्ति राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

9. (*क्र. 296) श्री भोलाराम साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक सड़क दुर्घटना से मृत, तालाब, बांध व स्टापडेम में डूबने से मृत, सर्पदंश से मृत एवं अन्य आपदाओं के तहत जनहानि होने पर कितने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

व्यक्तियों के परिजनों को, कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई? वर्षवार, तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार पीड़ित परिवार के कितने व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि देना शेष है ? तहसील वार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सड़क दुर्घटना से मृत 141 व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 35,25,000/- तथा प्राकृतिक आपदाओं से मृत 297 व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 11,79,50,000/- क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। वर्षवार, तहसीलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देना शेष नही है। सड़क दुर्घटना से मृत 258 व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 64,50,000/- क्षतिपूर्ति राशि देना शेष है। तहसीलवार जानकारी संलग्न [3] प्रपत्र ब अनुसार है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राजनांदगांव जिले में सड़क दुर्घटना, तालाब में डूबने से, कीट प्रकोप से एवं अन्य आपदाओं के बारे में पूछा था । माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2021-22 से 31 दिसम्बर, 2023 तक का जवाब में दिया है और इसमें 258 व्यक्तियों के परिजनों की क्षतिपूर्ति राशि अभी तक लंबित है। माननीय मंत्री जी, आप कृपया यह बता दीजिये कि इस लंबित प्रकरण का जिम्मेदार कौन है और आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजनांदगांव जिले के वर्ष 2021-22 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक सड़क दुर्घटना में मृत 141 व्यक्तियों के परिजनों को 35 लाख 25,000 रूपये की राशि प्रदान की गयी है । 25,000 रूपये प्रति मृत व्यक्ति के परिजनों को दी जाती है, यह राशि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा क्षतिपूर्ति फंड से प्रदान की जाती है और प्राकृतिक आपदाओं से मृत 297 व्यक्तियों के परिजनों को 11 करोड़ 79 लाख 50,000 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गयी है । प्राकृतिक आपदा, बांध-तालाब, स्टॉपडेम में डूबने एवं सर्पदंश से मृत व्यक्ति के परिजनों को राशि 4 लाख रूपये, राजस्व पुस्तक परिपत्र आर.बी.सी.6 -4 के तहत् दी जाती है । प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देना शेष नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, ओला दे देवए । हमन ओला पढ़ लेबोन । चंद्राकर जी, ओ समय तो भारी गोठियात रहओ । अब कइसे होगे, आंय बायं सायं होगे ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किंतु सड़क दुर्घटना में मृत 258 व्यक्तियों के परिजनों को 64 लाख 50,000 रूपये क्षतिपूर्ति राशि देना शेष है । जो सामान्य प्रशासन विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही प्रदान की जायेगी ।

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जो 258 प्रकरण लंबित है । इन लंबित प्रकरणों का जिम्मेदार कौन है और यह किस कारण से लंबित है ? आप यह बता दीजिये कि क्या आप उस अधिकारी-कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 258 व्यक्ति जिनको अभी क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गयी है । इनको शीघ्र ही दे दिया जायेगा । यह मांग पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है । जैसे ही राशि आयेगी, उनको क्षतिपूर्ति राशि मिल जायेगी ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय मंत्री जी, क्या इसकी कोई समय-सीमा है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी इसको करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा । ठीक ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उल्लेख नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया । लता उसेंडी जी । पर्याप्त हो गया । अच्छा, एक और पूछ लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- सेटिंग नहीं हो पायी ।

श्री भोलाराम साहू :- सेटिंग नहीं हो पायी इसीलिये तो आप इधर बैठे हैं । नहीं तो आप वहां बैठते । आपने सेटिंग में क्यों देरी कर दी ? (हंसी) माननीय चंद्राकर जी, सेटिंग मजबूती से करना था ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भोला भैया, अभी भी नहीं बिगड़े हे । अभी भी सेटिंग बर बइठे हे । ए डहर सेटिंग हो जही ।

अध्यक्ष महोदय :- भोला को कम मत समझना । यह भोलाराम वाला है । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ऐ भोला नइ आग के गोला हे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी एक प्रश्न करिये । बहुत समय हो गया ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि जैसे अन्य आपदाओं से क्षति है जैसे आगजनी में, जैसे धान का खरही है, मकान है । इसका आपने उल्लेख नहीं किया है । मैंने उसमें पूछा है, लेकिन आपके उत्तर में नहीं आया है। हरी धान का खरही जलना, मकान जलना, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- ये जो है, वह आर.बी.सी. 6-4 के तहत् ही इनको दी जाती है आपदा, बांध, तालाब, स्टापडेम में और सर्पदंश जितने भी हैं, ये आर.बी.सी. के तहत् दी जाती है और इसमें प्रकरण शेष नहीं है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3-3, 4-4 साल से मकान जला है, खरही जला है और आर.बी.सी. 6-4 का प्रकरण आज तक तैयार नहीं किये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपकी चिंता ठीक है। आप जल्दी करा लें। लता उसेण्डी जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>कोण्डागांव जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये जा रहे कार्य</u>

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

10. (*क्र. 306) सुश्री लता उसेंडी : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोण्डागांव जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत कितने ग्रामों में कार्य स्वीकृत हुए हैं तथा किन फर्मो को किस दर पर क्या कार्य दिये गए हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करने थे ? वर्तमान स्थिति क्या है तथा कौन से कार्य निर्धारित समय से कितने विलंब से अपूर्ण/अप्रारंभ हैं? उक्तानुसार कार्यो हेतु कितना भुगतान किया गया व शेष है ? वर्षवार, फर्मवार व कार्यवार जानकारी देवें ? मिशन के अंतर्गत कितनी राशि का भुगतान मार्गदर्शिका 7.9 के अनुसार डीडब्लूयएसएम से लेने के उपरांत किया गया है व कितनी राशि का अनुमोदन भुगतान पश्चात् अभी तक नहीं लिया गया है? **(ख)** जल जीवन मिशन के कार्यो में किस ग्रेड की सामग्री का उपयोग किया गया है ? वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में किन कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत की गई व शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** क्या वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यो के लिए अधिकारियों के जांच/मूल्यांकन दल का गठन किया गया है? यदि हॉ, तो किन अधिकारियों को शामिल कर कब आदेश जारी किया गया है तथा इनके द्वारा कब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है व क्या कमियां पाई गई हैं? कोण्डागांव जिले अंतर्गत जानकारी देवें ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : **(क)** कोण्डागांव जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत 571 ग्रामों में कार्य स्वीकृत हुए हैं। कार्यादेशित फर्मो के नाम, दर तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि, कार्य की वर्तमान स्थिति तथा निर्धारित समय से विलम्ब, अपूर्ण/अप्रारंभ एवं किये गये कार्य की भुगतान राशि व शेष राशि की वर्षवार, फर्मवार व कार्यवार की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। मिशन के अंतर्गत भुगतान की गई समस्त राशि मार्गदर्शिका 7.9 के अनुसार डी.डब्ल्यू.एस.एम. के अनुमोदन उपरांत ही की गई है। भुगतान पश्चात् अनुमोदन नहीं लिये जाने की जानकारी निरंक है। **(ख)** जल जीवन मिशन के कार्यो में निर्धारित मानक गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग किया गया है। वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यो की गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। **(ग)** जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा प्रदेश के जिला कोण्डागांव के कार्य के लिए कोई भी अधिकारियों के जांच/मूल्यांकन दल का गठन नही किया गया है। आदेश एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबकी समस्या है और पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम सोच रहे थे कि गांव में जायेंगे तो बोर कराने की मांग खत्म हो जायेगी, लेकिन अभी जा रहे हैं तो उतने ही बोर खनन की मांग आती है तो माननीय अध्यक्ष

महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि कई जगह यह देखने को मिला है, टंकी बन गयी है, कई जगह पाइप लाइन बिछ गई है और कई जगह चीजें अधूरी हैं और अधिकारियों से बात करें तो यह कहा जाता है कि वाटर लेवल चेक करने के बाद हम बोर खनन करेंगे तो ये जब डी.पी.आर. तैयार होता है तो क्या पानी टंकी, पाइप लाइन और वाटर लेवल सबके अलग-अलग होते ही होंगे, लेकिन हर जगह सारे काम पूरे विधान सभा में अधूरे हैं और कुछ आपने बताया है, पूर्ण हो गये हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी में कुछ गांवों के नाम पढ़ रही हूं। मांझीबोरान्ड, पुसावांड, जोबा ऐसे बहुत सारे आपकी लिस्ट में दिया हुआ है, पूर्णता है, पर वह अधूरा है। तो इस पर तत्काल कार्रवाई कर एक जांच समिति बनाकर कार्रवाई करेंगे क्या? और जिन लोगों ने गलत जानकारी दी है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुश्री लता उसेंडी जी सदन की वरिष्ठ सदस्य हैं और जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर चिंता जाहिर की है। यह सही है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है और अब हम उस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं कि गुणवत्तायुक्त काम और समय-सीमा पर काम हो और वास्तव में जो योजना का उद्देश्य है, वह उद्देश्य पूरा हो सके, इसके लिए सरकार पूरी गंभीर है और गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने जिन-जिन गांवों के नाम बताये हैं, वहां पर शीघ्र काम शुरू करा देंगे क्या?

सुश्री लता उसेंडी :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो 3-4 गांव के नाम ही पढ़े हैं, इसमें आप देखेंगे तो पूरे विधान सभा में पूरी जगह वही स्थितियां हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सूची दे दीजिए।

सुश्री लता उसेंडी :- आपकी जानकारी के अनुरूप..।

श्री अरूण साव :- मुझे गांव की सूची उपलब्ध करा दीजिए। मैं उसे दिखवा लूंगा और आवश्यकता के अनुसार अभी भी बोर खनन..।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। अनुज शर्मा।

सुश्री लता उसेंडी :- कोई कमेटी बनाकर जांच करेंगे क्या? अभी भी वही स्थितियां हैं। 80-80 परसेंट पैसा पेमेंट हो चुका है, लेकिन वहां पर अद्यतन स्थिति जाकर देखें तो बहुत खराब परिस्थितियां हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अनुज शर्मा जी।

धरसींवा वि.स. क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये गए कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

11. (*क्र. 255) श्री अनुज शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरसींवा विधानसभा क्षेत्र हेतु जलजीवन मिशन के अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये? यदि किये गये तो कितने बजट का आबंटन विभाग को प्राप्त हुआ एवं क्षेत्र के कौन से ग्रामों में कार्य प्रारंभ किये गये तथा कौन-कौन से ग्रामों में कौन-कौन सा कार्य अभी कराया जाना शेष है? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** वर्ष 2018 से 2023 में जल जीवन मिशन अंतर्गत धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में कितने पानी टंकियों का निर्माण कराया गया तथा कितने का निर्माण कार्य प्रारंभ या अपूर्ण है? अप्रारंभ या अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कराया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :**(क)** धरसींवा विधानसभा क्षेत्र हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त 138 ग्रामों में स्वीकृत कार्यों की ग्रामवार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट†[4] प्रपत्र** अनुसार है। बजट का आबंटन विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त नहीं होता। अपितु कार्यों के भुगतान हेतु जिले को आहरण सीमा जारी की जाती है। विभाग को जल जीवन मिशन अंतर्गत दिसंबर, 2023 तक कुल राशि रु. 10069.73 करोड़ प्राप्त हुई है। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ एवं शेष योजनाओं की ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जल जीवन मिशन वर्ष 2018 से नहीं अपितु 2019-20 में प्रारंभ हुआ है। अत: वर्ष 2019-20 से दिसंबर 2023 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 73 पानी टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 30 अपूर्ण एवं 06 पानी टंकियों का निर्माण कार्य अप्रारंभ है। 30 अपूर्ण पानी टंकियों को मार्च 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। 06 अप्रारंभ पानी टंकियों को जून 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सवाल से जवाब तो आ गया है, मेरे यहां परसतराई, खपरीडीह, बहेसर ऐसे गांव हैं, जहां अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पहला प्रश्न तो यह था कि यहां कब तक काम चालू हो सकते हैं, आपके जवाब में अप्रारंभ की स्थिति बताया जा रहा है और दूसरी चीज जैसे सुश्री लता उसेंडी जी के यहां समस्या है, वैसे मेरे यहां है कि यहां काम तो पूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन टोटी में पानी नहीं आ रहा है। तो इस पर मेरा वही कहना है कि जिन लोगों ने पूर्णता का सर्टिफिकेट दिया है या जिन लोगों ने ऐसा बताया है क्या उस पर कार्रवाई की जायेगी? साहब, एक सवाल और कि मेरे यहां मांढर में पानी की किल्लत अभी से है। वहां पेयजल, ग्राउंड लेवल वाटर का जो स्तर है, वह काफी नीचे जा चुका है तो उसके लिए विभाग किस तरह की तैयारी कर रही है कि लोगों को पानी मिल सके।

---

[4] † परिशिष्ट "चार"

श्री अरूण साव :- माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कुछ स्थानों पर टंकी को लेकर और स्थान को लेकर विवाद है, उस विवाद का निराकण करने का प्रयास हो रहा है और जिस पर्टिकुलर गांव का बहेसर का आपने उल्लेख किया, वहां अब काम प्रारंभ हो गया है और गर्मी के दिनों में पेयजल की कोई किल्लत न हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न है। हमारी सरकार उस दिशा में गंभीर है। आवश्यकता पड़ने पर बोर का भी खनन कर रहे हैं और अन्य जो भी आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, आज आप जिस सदन में विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं, उस पर एक संकट का समय आया है । वह संकट यह है कि हम लोगों ने एक अशासकीय संकल्प पारित किया था कि सदन का यह मत है कि हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द कर दिए जाएं । इसको 26 जुलाई, 2022 को पारित किया गया है, इसके बाद इसे केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिया गया । केन्द्र सरकार को अगस्त में पत्र प्रेषित कर दिया गया था चूंकि सदन से सर्वानुमति से इसे यहां पारित कर लिया है इसलिए समस्त कोल ब्लॉक निरस्त कर दिए जाएं । (श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य की ओर संकेत करते हुए) माननीय इसे आपने ही रखा था इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस पर थोड़ा समय देंगे । उसके बाद, उस पर तो कुछ कार्रवाई नहीं की, बल्कि आपकी सरकार आने से पहले और माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री मनोनीत होने से पहले, यहां के प्रमुख वन संरक्षक महोदय ने उस क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति दे दी (शेम-शेम की आवाज़) आपके आने के बाद आपने अनुमति दी होती तो हम लोग कुछ नहीं कहते । आप आए ही नहीं थे और आपके वन विभाग का इतना पावरफुल प्रमुख आ गया, उसने 11 तारीख को ही 91.30 हेक्टेयर वन भूमि में से 15,307 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी । अब आप उसमें क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, उसको तो आप देखें । मगर, अगर छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने सबकी सहमति से अशासकीय संकल्प पारित कर दिया था, उसके बाद इस प्रकार की घटना आपके प्रदेश के अधिकारियों द्वारा किया जाना अत्यंत दुखद है और इसी संदर्भ में हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । मुझे विश्वास है, यह एक गंभीर समस्या है, लापरवाही की समस्या है, पानी की समस्या है, जल की समस्या है, जंगल की समस्या है, जंगल में रहने वाले हमारे वन क्षेत्र के पशुओं की समस्या है और आने वाले दिनों में हसदेव का बांध पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा । कोल क्षेत्र के कारण मानव और हाथी में द्वंद होने लगी है । वह द्वंद कहां तक बढ़ेगा इस पर आप स्वयं चिंतित है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें ताकि हम इस पर चर्चा करें ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थगन प्रस्ताव के बारे में माननीय नेता जी ने बात कही है । वह अत्यंत गंभीर है, विधान सभा में माननीय धर्मजीत सिंह जी का अशासकीय संकल्प पारित हुआ और विधान सभा ने सर्वानुमति से इसको स्वीकृति प्रदान की । जिसमें अजय जी, बृजमोहन जी सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की थी और उसके अनुरूप में भारत सरकार को पत्र लिखा गया और जब कोई कटाई का निर्देश नहीं था, उसके बाद भी कटाई हो गई । पता नहीं, कौन सी अदृश्य शक्ति है ? यहां देखने में आता है कि सरकार बनी नहीं थी और पूरे प्रदेश में तोड़फोड़ शुरू हो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गई थी, कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसमें बिना आदेश के गोबर खरीदी भी बंद हो गई, कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसमें पेड़ों की कटाई भी शुरू हो गई और उसके बाद जो प्रस्ताव विधान सभा में पारित हुआ था कि अब इस क्षेत्र में कोई खदान नहीं होगी, कोई खदान संचालित नहीं होगी इसके लिए प्रस्ताव था और पूरे सदन ने सर्वानुमति से इसे पारित किया था । इसे लेकर नेता जी ने स्थगन लाया है । मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर विषय है क्योंकि न केवल वहां वन्य जीव प्रभावित होंगे बल्कि वहां के आदिवासी भी प्रभावित होंगे, उससे सैकड़ों, हजारों परिवार प्रभावित होंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा हसदेव बांगो बांध है, उसमें शिल्टिंग होगी और यह पूरे नीचे का हिस्सा है, चाहे वह रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, जांजगीर सक्ती हो, ये सारे जिले सिंचाई से प्रभावित होंगे तो यह पूरे प्रदेश का मामला है। मैं समझता हूं कि सदन इसे गंभीरता से विचार करेगा और सदन इसमें पहले भी चर्चा कर चुकी है तो आपसे यही अनुरोध है कि इस विषय को आप ग्राह्य करके इसमें चर्चा कराएं, यही आपसे आग्रह है।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर जो बातें स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, वह प्राकृतिक वन संपदा के साथ-साथ वन्य जीवों, जलचरों, पशु पक्षियों के साथ मानव जीवन भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिसे हम नहीं बचा पा रहे हैं, उसे उजाड़ने का भी हमें हक या अधिकार नहीं है। ये पेड़, जंगल, पहाड़ आदिकाल से हमें पोषण देते आ रहे हैं। नदी, पहाड़, पेड़ से ही आदिवासियों का जीवन चल रहा है, यदि यहां पर से ये जंगल उजड़ जाएंगे तो क्या रहेगा, केवल मशीन, कलपुर्जे और इसे चलाने वाले लोग रहेंगे। नदी, पहाड़, पेड़, जानवर सब खत्म हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हसदेव बांगो बांध जहां से लाखों एकड़ की सिंचाई हो रही है, किसानों को उसका पानी मिल रहा है, यह परियोजना जिस गति से चल रही है, डर इस बात का है कि वह बांध पट जाएंगे, लोगों की जमीन बंजर हो जाएगी, गांव उजड़ जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएगा और जिसके लिए माननीय धर्मजीत भैया ने अशासकीय संकल्प लाया था, बृजमोहन जी, अजय चंद्राकर जी और पूरे सदन ने सर्व सम्मति से इस अशासकीय संकल्प को पारित किया था और आज उस अदृश्य शक्ति के माध्यम से लगातार उन पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, हाथी और मानव का द्वंद चल रहा है, लगभग 60 लोग मारे जा चुके हैं और पूरे देश का अगर अनुपात निकालें तो केवल 15 प्रतिशत इस हाथी के कारण छत्तीसगढ़ में मारे गये हैं। मैं आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे गाहय करके इस सदन में चर्चा कराई जाए।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को मालूम है कि किस तरीके से हसदेव क्षेत्र में वनों की कटाई हो रही है और हम सब लोग लगातार इस मुद्दे पर चिंतित रहते हैं। इसके पहले भी यहां पर हमारे वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह जी द्वारा अशासकीय संकल्प लाया गया था, उसमें बहुत लंबी चर्चा भी हुई और सबने चिंता की थी कि इस पर तत्काल रोक लगे, सबने सर्व सम्मति से

सदन में इस प्रस्ताव को पास भी किया था कि वहां पर रोक लगे। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार को इस पर पत्र भी लिखा था। आज हसदेव क्षेत्र में स्थिति यह है कि वहां के आदिवासी अपनी बात, अपना जो दर्द है, जो रखना चाहिए, कहीं पर भी रख नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से बात रखना चाहता हूं कि हसदेव में जिन पेड़ों की कटाई हो रही है, उनके साथ-साथ वहां पर बड़ी मात्रा में जल, जंगल, जमीन, आदिवासियों का आने वाला समय का खतरा मंडरा रहा है, वहां आदिवासियों की संस्कृति को भी आने वाले समय का प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से नई सरकार बनने के बाद सरकार के मुखिया आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे सदन ने उनका स्वागत किया कि कहीं ना कहीं हम सबको यह उम्मीद और भरोसा था कि हमारे प्रदेश में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं तो इसका लाभ हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को मिलेगा, लेकिन वह भरोसा पूरा टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय है, आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन का सवाल है, इस पर तुरंत चर्चा कराई जाए और इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार अपना अभिमत दें।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद भी थी कि हमारे आदिवासियों का संरक्षण करेंगे। परंतु आज ऐसा हो रहा है कि आज हमारे आदिवासियों का जीवन जो जंगल से जुड़ा हुआ है, वह उजड़ रहा है और उद्योगपतियों के लिए जंगल को कांटा जा रहा है। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी को आदिवासियों के बारे में, वहां के किसानों के बारे में, वहां के गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। इसको रोकने के लिए हम लोग इस विधान सभा में पिछली बार प्रस्ताव लाये थे। चूंकि केन्द्र में आपकी सरकार है इसलिए इसमें आपको कहीं पर भी कठिनाई नहीं होगी क्योंकि अब दोनों जगह यहां भी आपकी सरकार है और केन्द्र में भी आपकी सरकार है तो हमारे आदिवासियों और किसानों के संरक्षण के लिए आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए आप इसको ग्राहय करके सब कामों को रोककर इस पर चर्चा करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। अंबिका मरकाम जी।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो घटना हुई है और इस सदन से शासकीय संकल्प पारित हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं और मैं चाहती हूं कि आदिवासियों की संस्कृति को बचाना होगा क्योंकि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की संस्कृति है और वहां पर जो नुकसान हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का हो रहा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर काम रोककर चर्चा कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है कि इस प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी बने हैं और हम सबका मानना था कि अब आदिवासियों के हित संरक्षण की बात होगी। जो परसा ईस्ट कांता बेसिन का मामला है, जहां पर पिछले कई दिनों से वहां के आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर लगातार पुलिस फोर्स के साथ पेड़ों की कटाई की जा रही है और कोई आम आदमी वहां पर अंदर नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है कि वहां पर बाहर की फोर्स आकर बैठ गई है और किसी भी आदिवासी को जंगल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपका ध्यान केवल एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो परसा ईस्ट कांता बेसिन की खदान राजस्थान सरकार को दी गई थी, उसके साथ अडानी का एग्रीमेंट है। उस अडानी के एग्रीमेंट में अभी जो पहली खदान चल रही है उसमें इतना पर्याप्त मात्रा में कोल उपलब्ध है कि दूसरी खदान खोदने की जरूरत ही नहीं है, परंतु पता नहीं कि किन कारणों से दूसरी खदान खोदी जा रही है। अभी अडानी राजस्थान सरकार को प्रतिवर्ष 21 लाख मीट्रिक टन कोल सप्लाई करता है और अभी उस खदान में आने वाले 16 सालों तक कोयले का भण्डार बचा हुआ है तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ जा रही है कि अडानी को एक नई खदान दी जा रही है? जहां पर 15,000 पेड़ कटने थे, पर बताया जा रहा है कि लगभग 30,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि वहां पर कोई अंधा कानून है। मैं पूरे सदन से एक बार कहना चाहता हूं कि हॉट स्टार में एक मूवी आर-पार आई है। आप उसको देखिये तो आपको उसका अंजाम पता लगेगा कि जो लोग आदिवासियों के जंगल और जमीन को उजाड़ रहे हैं और आदिवासियों को उससे बेदखल कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सूट की गई वह आर-पार फिल्म देखिये, जिसमें एक आदिवासी बालक अपने ऊपर हुए अत्याचार का किस तरीके से विरोध करता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि उसे तत्काल रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जल, जंगल, जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदान को लेकर वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। इस पर हमारी पिछली सरकार के द्वारा शासकीय संकल्प भी लाया गया था कि इस संकल्प को केन्द्र सरकार को भेजकर कोल ब्लॉक खोलने की अनुमति को रोका जाए। वहां पर जंगल में रहने वाले हमारे कितने आदिवासी भाई-बहन होंगे। वहां पर हमारे कितने गांव हैं, जो जंगल की पूजा करते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। वहां पर हमारे कितने जंगली-जानवर, हाथी हैं जो कोरबा से लेकर रायगढ़ जिला और उड़ीसा तक विचरण करते हैं। आज जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण हाथी और मानव में द्वंद हो रहा है। हम लोग हमेशा एलीफेंट कॉरीडोर की बात करते हैं। हाथियों और अन्य जंगली जानवरों का कहां संरक्षण होगा और हमारे आदिवासी लोग कहां जाएंगे? आज कोयले की

खदान की वजह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जबकि हमारे पास पहले से ही कितनी सारी कोयले की खदानें हैं, जिनको हमारी सरकार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई-बंधु, बहन सबकी रक्षा हो। इसके लिए पेड़ों की कटाई को रोका जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी समाज से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे आदिवासियों का संरक्षण कीजिए। आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। आपके ऊपर सारे आदिवासी समाज की निगाह है। सब लोग देख रहे हैं कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारा संरक्षण और रक्षा होगी और हमारे जल, जंगल, जमीन की रक्षा और सुरक्षा होगी। आप हमारे सुरक्षा कवच हैं। यह विश्वास हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा क्योंकि हमारा रायगढ़ जिला, मनेन्द्रगढ़ में पूरा कोयला लाईन से खत्म होता जाएगा । हमारा हंसदेव-बांगों क्षेत्र, खरसिया क्षेत्र, जांजगीर चांपा जिला सिंचाई का क्षेत्र है, लाखों किसान हैं, जिनको सिंचाई का पानी वहां से मिल रहा है । वहां कोयले की खदान होने से, हंसदेव-अभ्यारण्य कट जाने से बांगो बांध का अस्तित्व खतम हो जाएगा इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कटाई पर रोक लगाई जाये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- अध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होने से सबको खुशी है, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा पेड़ कटाई का आदेश जारी किया गया । परसाकेते और परसा ब्लॉक में 3 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं । वायु एवं जल प्रदूषण अधिनियम के तहत खदान चलाने की अनुमति भी आपने दी । केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुमतियां हैं, वह कोल ब्लॉक का आवंटन, पर्यावरण की अनुमति है । वन विभाग की सहमति है । राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर भूमि अधिग्रहण कर रही है। मेरा आपसे और पूरे सदन से आग्रह है कि इसे केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच का मामला मत बनाईए, यह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जिन्दगी और जीवन-मरण का सवाल है । आपसे आग्रह है कि इसे विशेष ध्यान में रखकर निर्णय लें ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हंसदेव का जंगल हमारी आत्मा है, जिसे बचाना हम सबका नैतिक कर्तव्य है । यह जंगल छत्तीसगढ़ का फेंफड़ा माना जाता है और यह जैव विविधता से समृद्ध है। यह हंसदेव क्षेत्र का जंगल 1 लाख, 70 हजार हेक्टेयर में फैला हुआ है । यह आदिवासियों की जीविका का एक मात्र साधन है और इनका रहन-सहन जंगल से जुड़ा हुआ है तो आदिवासियों को जंगल से अलग करना और उनके जीवन से सब कुछ छीन लेना या जंगल उजाड़ देना बहुत ही गलत है । आज इन पेड़ों को काटा जा रहा है, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से संरक्षित किया है । जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से पेड़ों की कटाई दुर्गति से हुई है । चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पेड़ों की बलि दी जा रही है तो यह छत्तीसगढ़ की जिन्दगी का, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जीवन और मरण का प्रश्न है । हंसदेव के जंगल में हाथी समेत 25 प्रकार के जीव-जन्तु रहते हैं, जंगल उजड़ने से जीव जन्तु अपना रूख गांव की ओर करेंगे,

शहरों की ओर करेंगे तो सोचिए कि क्या होगा ? मैं कहना चाहती हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाये । मैं दो लाईन बोलना चाहूंगी -

मोर वज़ूद ला मिटावथस, मोर वज़ूद ला मिटावथस ।

काबर तैं बलि चढ़ावथस ।

अपन के मरम ला तै नहीं जाने, अपन के मरम ला तै नहीं जाने ।

पर के सुख बर तैं कईसे रिश्ता निभावथस, ये कइसे रिश्ता निभावथस । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो बात हो रही है, उसमें मैं किसी बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा । अगर हम लोग बात करें तो सन् 94 की World Bank की एक रिपोर्ट है, जिसमें हंसदेव-बांगों प्रोजेक्ट के बारे में यह कहा गया है कि उसमें किसानों की आमदनी में 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब जब वहां पर शिल्टिंग और बाकी मामले आएंगे तो जांजगीर जिले और बाकी भी जिलों में जहां पर कटाई हो रही है, वहां पर पानी कम होगा क्योंकि एक औसत में वहां पर साढ़े चार लाख घन मीटर पानी के जो स्त्रोत हैं, वह दो स्त्रोत आलरेडी बंद हो चुके हैं और आने वाले समय में जब यह कटाई होगी, उसके बाद जब वह स्त्रोत बंद होते जाएंगे तो नीचे हम लोगों को पानी नहीं मिलेग । फारेस्ट कवर में ये दो प्रतिशत सिर्फ ऐसे जंगल हैं, जिनको घनघोर जंगल की श्रेणी में रखा जाता है। जो अभी कटाई हो रही है, वह उसी श्रेणी के जंगल हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, No Go Area के बारे में माननीय धर्मजीत सिंह जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, मैं उनका भाषण पढ़ रहा था, उन्होंने बताया था। No Go Area के अलावा Environment Zone जोन में भी आता है, जहां पर आखरी में कटाई या आखरी में कोल आवंटन होना चाहिए और यहां पर हम लोग इन ब्लॉक को पहले आवंटित करने की बात कर रहे हैं । खड़गवां ब्लॉक में जहां पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की बात की जा रही है, वहां पर वन अधिकार के पट्टे बंटे हुए हैं । वहां पर फिर स्थिति निर्मित होगी कि जहां पर पट्टे बंटे हुए हैं, वहीं पर हम लोग वैकल्पिक वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं । 15 हजार से 16 हजार पेड़ की बात हो रही है, उसकी कटाई हुई है। वाईल्ड लाईफ की रिपोर्ट है, सन् 2009 के अनुसार वहां पर साढ़े चार सौ से पांच सौ पेड़ प्रति हैक्टेयर, जिसमें 40 हजार पेड़ तो ऐसे ही हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर राजस्थान वाली बात आई तो उनके पास पर्याप्त कोयला है, जिससे अभी काम चल सकता है। लोग बार-बार कह रहे हैं कि हम लोगों की ग्राम सभा गलत हुई है। इसके बाद भी हम लोग वहां पर उनको काटने की अनुमति, उनको ब्लॉक की अनुमति देते हैं तो यह बहुत गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हसदेव ला हमर छत्तीसगढ़ के फेफड़ा कहे जाथे। अब आप मन सोचव, यदि हमर फेफड़ा नहीं रही तो ये शरीर के का काम ? हर पांचवी

अनुसूची में आथे अउ पांचवी अनुसूची में ग्राम सभा ला पूरा अधिकार हे। क्षेत्र के लगभग 20 ग्राम सभा हा खनन के विरोध मा अपन प्रस्ताव पारित करे हे। एमन के अधिकार के अवहेलना करे जाथ हे। चूंकि हमर मुख्यमंत्री आदिवासी हे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अउ अध्यक्ष महोदय से निवेदन करत हंव कि हमर आदिवासी मन के अधिकार के हनन ना हो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक हे, धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति लेकर बोल रहा हूं, मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं थोड़ा अलग हटकर बात करूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

डॉ. चरण दास महंत :- आपने जो बोला था, उससे अलग हटकर बात मत करियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, बिलकुल नहीं करूंगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं वही-वही बोलूंगा, जो रिकार्ड में है, मैं वही-वही बोलूंगा, जो इस सदन में बैठे हुए कुछ लोगों का एक्चुअल एक्शन था और अभी क्या एक्शन है, मैं वह बताने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- धर्म भईया, आपके वाद से मझे एक बात याद आई। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। आज आप उधर हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिलकुल। कोई भी मजबूरियां रहती हैं तभी आदमी बेवफा होता है। यह मजबूरियां क्या थीं, आप कहेंगे तो मैं कल अपने भाषण में बता भी दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय, श्रद्धेय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जो सदन की आसंदी पर बैठे थे, उन्होंने मुझे विशेष अनुमति दी, मैं उसके लिए आज भी उनका आभार प्रकट करता हूं कि हसदेव जैसे ज्वलंत मुद्दे पर इस सदन में अशासकीय संकल्प के माध्यम से लंबी चर्चा करने का अवसर दिया। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात बोलने में कोई संकोच नहीं है कि बांगो बांध स्व. बिसाहू दास महंत, स्व. रामचन्द्र सिंह देव एवं स्व. श्यामचरण शुक्ल जी जैसे दूरदृष्टि के नेता लोगों ने उसकी परिकल्पना की थी। मेरा वह भाषण रिकार्ड है, मैंने एक घण्टे का भाषण यहीं खड़े होकर दिया था। उस समय 61 गांव विस्थापित हुए थे, तब वह बांगो बांध बना था। लेकिन रायपुर के तरफ के लोगों को गंगरेल बांध सबसे बड़ा बांध लगता है। वह 3 गुना बड़ा बांध है। सारे विकास के काम गंगरेल में हो रहे थे, बांगो बांध में नहीं हो रहे हैं, मैंने यह भी कहा था। मैंने यह बताया था कि कितने झाड़ कटेंगे, कितनी लतायें खत्म होंगी, कौन सा जानवर खत्म होगा, कौन सी प्रजाति के सांप खत्म होंगे, किस प्रकार के वृक्ष खत्म होंगे और कितनी संख्या में खत्म होंगे, मैं पूरे तर्कों के साथ उस समय भाषण दे रहा था। मैं वहां से बैठे-बैठे देख रहा था कि जो अभी आदिवासी रक्षा की बात कर रहे हैं, वहां बैठकर एक भी आदमी, अभी जो वहां पर बैठकर, वहां का एक भी आदमी एक शब्द नहीं बोल सका

और यहां से बैठे-बैठे, उस सदस्य की इच्छा भी होती थी तो उधर जो बैठे थे, आदरणीय नेता उनको देखकर आधा उठकर फिर बैठ जाते थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सर्वसम्मति से पारित हुआ था भईया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी रूको भाई, आप बाद में बोल लेना, मैं थोड़ा सा दो मिनट बोल लेता हूं। फिर आप दोनों बोल लीजियेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- आपका बाजू वाला सो रहा है, उसको जरा धीरे से देख लीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत जी, इस पर एक बात कहना चाहूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं दुर्भावना से बात नहीं कहना चाह रहा हूँ । सर, मैंने विधान सभा में उस दिन यह बात भी कहा था कि श्री राहुल गांधी जब मदनपुर आये थे, जिस चबूतरे में उन्होंने भाषण दिया था, आपकी सरकार ने उस चबूतरे के भी किसानों को बेदखल करने का नोटिस आपने दिया था । (शेम-शेम की आवाज) आदरणीय मैंने यह भी कहा था कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, हमारी जंगल और हमारी धरोहर को खत्म करने का अधिकार हम नहीं देना चाहते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह आपके पूरे भाषण की कापी है, जिसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है । आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि उधर के लोग बोलना चाहते थे । नेताजी बोलते थे कि आप बैठ जाओ, आधा खड़े होकर बैठ जाते थे । असत्य कथन मत कहिये । यह पूरे भाषण की कापी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वैसे भी यह बहस का विषय नहीं है...।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय भूपेश जी, माननीय भूपेश जी । जो माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया है, वह इस बात को सुन रहे हैं कि स्वीकार क्यों किया जाये, अस्वीकार क्यों किया जाये ? इसलिये इस पर बहस नहीं हो सकती । अभी माननीय धर्मजीत सिंह जी को बोलने का अवसर दिया गया है, वह बोलेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- मेरा नाम का उल्लेख किये हैं, इसलिये मैं बोल रहा हूँ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका नाम बोला ही नहीं हूँ आदरणीय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उधर आपको मौका मिलेगा तो आप बोलेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- धर्मजीत सिंह जी, आपके पूरे भाषण के दौरान एक भी कहीं पर इंट्रप्ट नहीं हुआ है, किसी ने टोका नहीं है, पूरे एक घण्टे का भाषण है । आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि उधर के लोग बोलना नहीं चाहते हैं । आपकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, आपकी बात से सहमत थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कहां बोला हूँ साहब कि मैं भाषण में बोला हूँ । आप इस बात को अन्यथा ले लिये । आदरणीय मैं कह रहा हूँ कि आपके नाम का उल्लेख भाषण में नहीं किया हूँ । आज जो बोल रहे हैं, वह उस दिन कोई नहीं यहां बोले थे, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- इस बात से सारे सहमत थे और इस कारण से मैंने इस बात का जवाब दिया था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं आगे और बता देता हूँ । राहुल गांधी जी, जिस चबूतरे में भाषण दिये थे, क्रांति का शंखनाद किये थे, उस चबूतरे के पजेशन के लिये बेदखली का नोटिस पुरानी सरकार ने दिया था । तीन आदेश पुरानी सरकार ने देकर आरी देने का काम पुरानी सरकार ने किया था । आप ही बोल रहे हैं कि वह आरी विष्णुदेव साय नहीं चलवाये हैं, उनके अधिकारी चलवाये हैं । आरी तो आप छोड़कर गये थे । आरी अब वह उपयोग कर रहे हैं, यह चिंता का विषय है । आप स्थगन रखे हैं । अध्यक्ष जी, ग्राह्य करें या न करें, यह आसंदी का निर्णय है, लेकिन जिस दिन मैं चीख-चीख के बोल रहा था, यह सारे आदेश निरस्त कर दिये जायें । तब तत्कालीन मंत्री ने हसदेव बांध की जगह में वाड्रफ नगर का जवाब दिया था, वह भाषण में लिखा हुआ है और एक घण्टे का भाषण है, मैं लाकर यहां दे दूंगा । आपके पास तो हैं, शायद इनके पास नहीं है । मैं कल वह भाषण निकवाकर दूंगा । आप पढ़िये । आदरणीय नेता जी, यह चिंता हल कैसे हो, आपने उसके लिये पहल की है । आप उस दिन मुझे बहुत मौका दिये थे । मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगर उसी दिन सरकार की तरफ से सख्ती से संकल्प में यह आदेश करके सर्वसम्मति से पास करते कि प्रदेश की सरकार के दिये गये समस्त आदेश निरस्त किये जाते हैं और दिल्ली की सरकार अपना आदेश निरस्त करे या न करे तो वह ज्यादा शक्तिशाली होता । मैं यह कहना चाहता हूँ ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुनथ रेहेंव । मैं बढ़िया गोठियाये हंव कहिके धर्मजीत सिंह जी हा हांसथे, मुस्कुराथे । हम जानथन कि आप बहुत अच्छा लच्छेदार भाषण देथव और आपके गलती ला ऐती प्रयास करथन, लेकिन पूरा प्रदेश देखथे, आपला ए छत्तीसगढ़ ला संवारे के लिये बनाये हे, आप ला अगर मुख्यमंत्री के सरकार म बिठाये हे, त छत्तीसगढ़ ला सजाय संवारे के लिये बनाये हे । आपके अगर कलम में पॉवर आगिसे, आप ला पेड़ कटई रोकना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, हम वो जिला ले आथन, जेला सक्ती जिला कइथे । छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान उपज यदि कहीं होथे तो मोर सक्ती जिला में होथे । मोर नेता जी बैठे हे । आज उँहा के किसान मन ला जाके देखव मालोमाल हे । सक्ती जिला ला धान के कटोरा के रूप में जाने जाथे । आज ऊंहा नहर के चलते, अऊ जब नहर बनिस त 70 गांव ला उजाड़िस, आज खुश करे बर कतका आदिवासी समाज के बलिदान देबर लागथे । आज हम हन, कुर्सी में बैठे हन, विधायक हव, मुख्यमंत्री हव, आप मन सब हव, कल नहीं रहान । 50 साल बाद अगर इतिहास म देखे जाही, वो दिन याद करिहव । तुंहर आत्मा ला घलो, तुंहर

मठ ला घलो, जाके दो गोटी मार के आ सकथे । अइसने गलत काम करे रहिबो त ? बात ला याद रखिहव । अध्यक्ष महोदय, एखर खातिर मैं निवेदन करना चाहत हौं, ए प्रदेश हम सबके हे। ठीक हे आप मन सत्ता में हो अउ हमन विपक्ष में हन। हमरो क्षेत्र में जाके हमू मन ला कहिथे कि का करत हौ, तुमन विधायक हो ता। तुमन बोलत काबर नइ हौ। एकर सेती मोर निवेदन हे कि आने वाला समय में अइसे न हो कि हमन कोई ला मुंह नहीं दिखा सकी। एक आदमी ला खुश करे बर, एखर खातिर ए ला जल्दी से जल्दी रोकना चाही। प्रदेश में कोयला बहुत हे। वहींच ले तुमन ला का मदार हे। अऊ अतेक खोल लेवा। दे देवा अडानी ला देयिच तो देवा। एसनहा ओ हा का पा गे। आज ओतक अकन पैसा वाला बनत जात हे। एखर खातिर धर्मजीत सिंह जी, आप बहुत सीनियर नेता हौ, लेकिन आज हमन आप ला देखेन। हम ला बहुत तकलीफ होथे। आप जैसे ओती गेहव, आप अपन बात ला पलट देव अऊ उल्टा हमन ला कहा हौ। तेखर खातिर मोर आपसे निवेदन हे कि एला रोका जाये ताकि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में हम सब ये दिन ला याद करन। ऐखर खातिर ऐला रोकना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हसदेव अरण्य के विषय पर बात हो रही है। जब से हम चुनकर इस सदन में आये हैं, तब से हसदेव अरण्य एवं हसदेव बांगो परिक्षेत्र के विषय पर चिंतित है। सरकार की क्या मंशा है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा परंतु हमें छत्तीसगढ़ का किसान होने के नाते इस बात की पीड़ा है कि यदि हसदेव अरण्य को कोयला खनन के लिये लगातार अनुमति दी जायेगी, जिससे आप और हम सब को पता है कि अगर किसी भी जंगल क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक जंगल का क्षेत्र है तो वह जंगल खनन के लिये नहीं दिया जायेगा। उस क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक जंगल क्षेत्र है, जब पूर्व सदन ने इस पर रोक लगायी है तो कृपा करके इस पर रोक लगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक विषय और है। एक किसान होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जांजगीर-चांपा जिले का एक किसान हूं और जिससे यह धान का कटोरा छत्तीसगढ़, सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाले जांजगीर-चांपा जिला, जिससे सक्ति जिला वर्तमान में अलग हो गया है। हमें जो जल प्राप्त होता है, वह किसान ही नहीं वरन् वहां के उद्योगों को भी मिलता है, जिससे सरकार को करोड़ों रूपये का राजस्व भी प्राप्त होता है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि वहां से 40 क्यूबिक मीटर पानी वाष्पीकरण हो जाता है। वहां लगातार 250 क्यूबिक मीटर पानी रोकना होता है और लगभग 1300 क्यूबिक मीटर पानी सुरक्षित उद्योग कोरबा वाष्पीकरण बांध के लिये मेंटेनेंस हो जाता है और लगभग 1700 क्यूबिक मीटर पानी हम सब किसानों को सिंचाई के लिये मिलता है। यदि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ लगातार कटेंगे तो तीन गुणा शेल्टिंग बढ़ जायेगा और धीरे-धीरे हसदेव का जो जल भराव का इक्विपमेंट एरिया है, वह कम हो जायेगा। जिस प्रकार से हीरापुर बांध की तरफ समस्या आ रही है, उसी

प्रकार की समस्या आने वाले समय में हसेदव बांगो में होगी क्योंकि शेल्टिंग भर जाने से पानी का जल भराव कम हो जायेगा। न ही उद्योगों को पानी मिल पायेगा और न ही हम किसानों को मिल पायेगा। आज यह धान का कटोरा छत्तीसगढ़, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम किसान बर्बादी की कगार पर होंगे। आज मैं देखता हूं और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं। जब मैं गांव में जाता था तो एक-एक किसान के घर में टाईल्स और संगमरमर के पत्थर लगे हुए रहते थे। मैं उनसे पूछता था।

अध्यक्ष महोदय :- आपको राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का बहुत अवसर मिलेगा। आप अभी सिर्फ विषय पर सीमित रहिये, आपको पर्याप्त समय देंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मेरा कुल मिलाकर आपसे एक ही आग्रह है कि तत्काल उस पर रोक लगाई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। जरूर-जरूर।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता जी ने आपके समक्ष जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यह निश्चित रूप से हमारे वनवासियों के लिये और हम सब लोगों के लिये कारगर साबित होगा। जैसे हसदेव अरण्य के दो ब्लॉकों में खनन शुरू हुआ है तो खनन शुरू होने के पश्चात जब उस कोयले को बाहर ले जाने के लिये जंगल काटने के साथ-साथ सड़क, रेल लाईन और अन्य निर्माण से पूरे जंगल का 70 प्रतिशत हिस्सा खुली खदान के रूप में बदल जायेगा, यह हमारे लिये गंभीर विषय है। इसे ग्लोबल की दृष्टि से देखा जाये या वनवासियों के जीवनयापन करने की दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह हमारे लिये बहुत ही दुखद घटना होगी। इस सदन के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते और हमारे विपक्ष के नेता जी ने जो स्थगन लाया है, निश्चित रूप से उस पर चर्चा करायी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है मैंने सुरक्षा के विषय को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया है। मेरा विधान सभा 60 प्रतिशत नक्सली क्षेत्र है। जब पूर्व में हम जंगल में जाते थे तो पूरा वहां पर सुरक्षा के लिए थानेदार को..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, आपको माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पूरा समय दूंगा।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह ध्यानाकर्षण ग्राह्य करके, इस पर चर्चा करायी जाए।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हंसदेव में पेड़ कटाई राजस्थान के लिए कोयला खनन किया जा रहा है और यह घोर निदनीय है और मैं इसलिए कहना चाह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रही हूँ जब पिछली बार हमारे यहां अशासकीय संकल्प आया था और विधान सभा में उसे पास किया गया था। यह घोर निंदा की बात है। मैं इसमें यह कहना चाहती हूँ कि वहां पर पूरा आदिवासी समाज, पूरे क्षेत्र के लोग हैं और वे सभी आन्दोलन कर रहे हैं। हमारे यहां यशस्वी मुख्यमंत्री जो आदिवासियों के महिषा कहे जाते हैं आज उसकी बात भी हुई है, वे आदिवासी समाज से हैं तो वहां उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? यह बात पूरे क्षेत्र में है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में रोष की बात है और मैं आपसे इस चीज के लिए निवेदन करना चाहती हूँ कि इस विषय में चर्चा करायी जाए।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे नेता जी ने हंसदेव अरण्य क्षेत्र के संबंध में स्थगन लाया है। हम सब आदिवासी क्षेत्र से आते हैं पूरे जंगल में आदिवासी निवास करते हैं वहां उन्हीं की रोजी-रोटी रहती है। साथ ही साथ जंगल में पशु, पक्षी और जानवर भी निवास करते हैं। वहां पर अभी जो अनुमति दी है और यहां पर मुख्यमंत्री जी के बैठने के बाद, वहां पर कटाई का काम चालू कर दिया गया, जिससे लगभग वहां पर 13-14 हजार पेड़ कट गये हैं और अभी बता रहे हैं वहां पर 3-4 लाख पेड़ कट गये हैं। ऐसे काम घोर निंदनीय है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री वहां का संरक्षण करें, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से हैं और वह पूरा संरक्षण करें। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने महान्याय योजना के तहत आदिवासियों के संरक्षण के संबंध में अपना ब्यान दिया है। उन्होंने जनमन में भी बात की है। मैं चाहता हूँ कि इस स्थगन को ग्राह्य किया जाये और इसमें चर्चा करायी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप कुछ बोलेंगे ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बजट सत्र है। हम बजट सत्र में विभिन्न विषयों पर सामान्य बजट में चर्चा करेंगे, हम विभागीय बजट पर चर्चा करेंगे। लगभग विषय वही है इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर सामान्य बजट और बजट में चर्चा हो जाए। आप इसे अग्राह्य करें तो यह ज्यादा उचित होगा।

श्री रामकुमार यादव :- आदिवासी समाज बर बजट बनाए हो, वहीच मन नइ हे तो आप कहां ले बजट बनाहौ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज स्थगन प्रस्ताव लाने का अर्थ यह समझता हूँ कि आप जिस आसंदी पर बैठे हैं और आने वाले समय में जिस पर आप कई प्रकार के निर्णय देंगे। यदि उसी पर प्रश्नचिन्ह लग जाए और उसी पर केन्द्र सरकार अपनी कोई व्यवस्था न दे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो यह आपके लिए और हम सब लोगों के लिए एक दु:खद विषय है। इस विषय में इतने सारे साथियों ने चिन्ता व्यक्त की है। आपकी जो संवैधानिक व्यवस्था है, मैं उसको देखते हुए, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में देश में साढ़े तीन लाख मिलियन टन कोयले का भण्डार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हुई है। इस स्थगन को स्वीकार क्यों किया जाए, पहले इस पर उनका भाषण हो चुका है। यह कभी सदन की परम्परा नहीं रही है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत सीनियर हैं, वे अध्यक्ष रहे हैं ऐसी कभी परम्परा नहीं रही है कि आपने जिस विषय को उठाया, आप दोबारा उसके ऊपर चर्चा करें। यदि स्थगन पर चर्चा शुरू होती, अगर आप अनुमति देते तो मुझे लगता है कि वह दोबारा बोल सकते थे, परन्तु जब वह एक बार इसके ऊपर अपनी बात रख चुके हैं तो आपको यह निर्णय करना है कि आपको इस स्थगन को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अग्रवाल साहब, जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरी बात सुन ली, मेरी तरफ उनने अपनी निगाहें करम कर ली, उसके बाद आपको आपत्ति हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके पुराने दिन ही याद दिला रहा हूँ कि आप कैसा निर्णय देते थे और हम लोगों को गर्भगृह में क्यों आना पड़ता था।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तब आप चिल्लाते थे हम लोग बड़े सौम्य तरीके से बात कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको कागज फाड़ने पड़ते थे। आप बाजू वाले की आंखों से कितना डरते थे, वह मैं देख रहा हूँ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम लोग बिल्कुल नहीं डरते थे। आप उस समय उग्र रूप धारण करते थे और हम लोग सौम्य रूप में बात कर रहे हैं। भईया, हम लोग न डरते हैं और न डराते हैं। मैं इसकी गंभीरता को बता रहा हूं कोई अलग बात नहीं बता रहा हूं। उस क्षेत्र के बाहर ऐसे 3 लाख मिलियन टन के कोयले के हमारे पास भंडार हैं जो उस क्षेत्र में कोयले की खुदाई बंद करने से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस बात को कह नहीं पाया था कि उस जंगल में 100 से अधिक प्रकार की वनस्पति हैं जो और कही नहीं मिलेंगी। 40 प्रकार के ऐसे जलचर हैं, 70 से अधिक प्रकार के वहां पशु-पक्षी हैं, 30 से अधिक प्रकार के जंतु हैं और उसमें जो मानव द्वंद हुआ है, अभी आपके यहां भी जाता है, मेरे यहां भी आता है, कुरूद में जाता है, हाथी महाराज कहीं भी घूम रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कुरूद वाला डर नहीं रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- कुरूद वाले तो सो रहे हैं। उस द्वंद को भी रोक सकते हैं। आप जो देना चाहते हैं, उससे क्या-क्या नुकसान होगा ? आपकी वनोपज का नुकसान हो रहा है, प्रदूषण अलग से बढ़

रहा है, हमारी आदिवासी संस्कृति की अलग नुकसान होने का पूरी तरह से अंदेशा है। रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि हमारा अशासकीय संकल्प भी वहां से बिना किसी कारण स्वीकार न किया जाये और उस संकल्प के विरूद्ध में आपके अधिकारी वहां पेड़ काटने का आदेश दें। मुख्यमंत्री का हाथ न उधर का शामिल है न इधर का शामिल है। जिस अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं उस अदृश्य शक्ति को खोजने के लिए हम चाहते हैं कि आप हमें अभी चर्चा की अनुमति दें। हम अपनी पूरी बात रख सकें और आपको बता सकें कि वह अदृश्य शक्ति कहां से आ रही है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। आप बैठिये।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुझे डॉ. चरणदास मंहत, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आप सभी जानते हैं कि यह बजट सत्र है, बजट सत्र में माननीय सदस्यों को विभिन्न विषयों में अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, बजट पर सामान्य चर्चा, विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है जिसमें शासन के विभिन्न विषयों पर आप अपनी बात रख सकते हैं और पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा तब आप अपनी बात रख सकते हैं। अत: विचारोपरांत मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। इसे अग्राहृय कर दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद यह कटाई हो रही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे जन जीवन प्रभावित होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शासन की ओर से जवाब तो आ जाये। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, कम से उनकी तरफ से जवाब तो आना चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि सरकार से जवाब तो आ जाये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 100-100 चूहा खा के बिल्ली हज में जाथे। विधान सभा में संकल्प पारित होने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.45 से 12.57 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:57 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसमें आपसे निवेदन है। सत्तापक्ष से खासकर निवेदन है कि एक तरफ जंगल कट रहा है, दूसरे तरफ आदिवासी उजड़ रहे हैं, तीसरे तरफ बांध सील्ट हो रहा है, सिंचाई प्रभावित हो गये। यह प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं ट्रेजरी बेंच से आग्रह करूंगा कि इस विषय को स्वीकार करके चर्चा कराएं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपसे निवेदन है कि यह जल, जंगल, जमीन, आदिवासी लोगों को बचाने की आवश्यकता है, किसान को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए इस स्थगन को ग्राहृय करके चर्चा कराएं।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा के साथियों से पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत हसदेव अरण्य परियोजना के तहत पूर्ववर्ती माइनिंग लीज, जो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2022 को जारी किए गए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अंतिम चरण की जो अनुमति थी, वह पूर्ववर्ती व्यवस्था में निरस्त क्यों नहीं की गई? जयराम रमेश जी द्वारा जो पूर्व अनुमति वन अधिकार समितियों को दिया गया था, उसको निरस्त क्यों नहीं किया गया? आदिवासियों, नौजवानों को 3 दिन तक नजरबंद करके सैकड़ों पुलिस वालों के संरक्षण के साथ 30 हजार पौधे कटवाये गये, इस पर भी जवाब आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2019 में 20 पंचायतों से ग्राम सभाओं की जो फर्जी अनुमति ली गई, उसको इनकी पूर्ववर्ती सरकार ने निरस्त क्यों नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर भी इनको जवाब देना चाहिए, इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न किया जाए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की बात है कि माननीय सुशांत जी ने यह सारे सवाल उठाये हैं। वह सत्तापक्ष के सदस्य हैं और वह स्वयं चाह रहे हैं कि इस विषय पर चार्च हो।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने साथियों से निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप स्वयं चर्चा करवाना चाह रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप चर्चा कराईये, इसमें आपको जवाब मिल जायेगा। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आपके सदस्य चर्चा करवाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ग्राह्य करके चर्चा करवाईये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपके आदरणीय सदस्यों के मन में प्रश्न है और अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। (व्यवधान)

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भूपेश बघेल :- आपके ही विधायक ने प्रश्न किया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी, स्थगन प्रस्ताव पर ..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुशांत शुक्ला जी को डांट रहे हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा शेम-शेम की आवाज)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डांट नहीं रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- क्या वे आवाज उठाने के लिये रोकेंगे ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ित करिये । (व्यवधान) वे सुशांत शुक्ला जी को रोक रहे हैं । हर सदस्य को अपनी बात रखने की आजादी है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिए । ठीक है, मैंने सुन लिया । (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव पर मैंने व्यवस्था दे दी है । मैं अब सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह आज के दिनभर के महत्वपूर्ण कार्य का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने का अवसर दें और आपकी व्यवस्था में मैंने इस पूरे आज के स्थगन प्रस्ताव को चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्वीकृत नहीं किया जाता । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, वह भी चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशांत शुक्ला जी भी बोल चुके। दो-दो सदस्य बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप विधानसभा की व्यवस्थाओं को जानते हैं । एक बार स्थगित होने के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसको स्थगित कर दिया उसके बाद वह विषय खत्म हो गया । आपने कल भी यही तरीका अपनाया । (व्यवधान) आज भी यही तरीका अपना रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप क्या चाहते हैं कि कोई आवाज न उठाये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा को चलाना नहीं चाहते हैं । यह बजट सत्र है । बजट सत्र में आपको मौका मिलेगा । आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर दिया । आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं और इसलिये आप इस प्रकार का हल्ला कर रहे हैं । (व्यवधान) ये विधानसभा की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं । अगर आप थोड़ी सी भी चर्चा करना चाहते तो आप कल सप्लीमेंट्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बजट में चर्चा करते । आप बहिर्गमन करके क्यों चले गये ? (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान) आप भागना चाहते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने यह बात कही है कि हम चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं । आप देख लीजिये कि नारेबाजी के बाद 5 मिनट के लिये आपने स्थगित किया और विधानसभा फिर से समवेत् हुआ । उसके बाद आपने सुशांत शुक्ला जी को अवसर दिया । सुशांत शुक्ला जी ने फिर से इसी विषय को उठाया और जब यह चर्चा शुरू हो गयी है तो उस प्रक्रिया के तहत् ही हम कह रहे हैं कि ट्रेजरी बेंच के भी माननीय सदस्यगण इसमें चर्चा चाहते हैं और इसीलिये इसमें चर्चा करायी जाये और फिर जब यह सुशांत शुक्ला जी के द्वारा शुरू हो चुका है तो निश्चित रूप से मैं ट्रेजरी बेंच से आग्रह करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि आसंदी से व्यवस्था आ गयी है लेकिन आपके सदस्य चाहते हैं कि चर्चा हो तो आपसे निवेदन है कि इसे स्वीकार करें और चाहे खनिज मंत्री जी जवाब दें या वन मंत्री हों । इसका जवाब उनके द्वारा आना चाहिए और चर्चा शुरू होनी चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव अग्राह्य हो चुका है । आगे बढ़ने दें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी नयी परम्परा शुरू कर रहे हैं । उन्होंने आपके बिना आदेश के चर्चा शुरू करवा दी । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- चर्चा आपकी तरफ से शुरू हुई है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि एम.एल.ए. तो एम.एल.ए. होता है चाहे वह ट्रेजरी बेंच का हो या विपक्ष का हो । सबको बराबरी का अधिकार है । बिना विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के कोई चर्चा शुरू नहीं होती । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप उनको रोक रहे हैं । जब उन्होंने कहा तो आपने उनको डांटा है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने उनको रोकने का प्रयास किया है । उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है । (व्यवधान) उनको बोलने दीजिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उनको रोकने का प्रयास किया है और उनको डांटकर बैठाया है । (व्यवधान) आपने उन्हें डांटकर बैठाया है ।

श्री रामकुमार यादव :- यह आदिवासियों का विषय है इसमें चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों की बात है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशांत शुक्ला जी ने चर्चा की शुरूआत कर दी है इसलिये मैं चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस विधानसभा का हर सदस्य यहां का सदस्य है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- आप तो उसको डांट रहे थे । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का विषय है इस पर चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान) अगर इस विषय में चर्चा नहीं होगी तो आप लोग और कौन से विषय में चर्चा करेंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, ये सभी आदिवासियों के साथ छल कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अगर इस विषय में चर्चा नहीं होगी तो बजट का क्या करेंगे ? (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुये गर्भगृह में आये)

अध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

समय :
1.04 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) विद्युत विभाग की अधिसूचनाएं

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 101/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 21 फरवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2023

(ii) अधिसूचना क्रमांक 99/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 13 मार्च, 223, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023,

(iii) अधिसूचना क्रमांक 102/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 10 मई, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023,

(iv) अधिसूचना क्रमांक 104/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 26 सितंबर, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(v) अधिसूचना क्रमांक 105/छ.रा.वि.नि.आ./2023, दिनांक 6 सितंबर, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 तथा

(vi) अधिसूचना क्रमांक 106/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) (द्वीतीय संशोधन) विनियम, 2023

पटल पर रखता हूं।

<u>(2) सहकारिता विभाग के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन</u>

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23 तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18

पटल पर रखता हूं।

समय :
1.10 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस</u>

1. डॉ. चरण दास महंत
2. श्री भूपेश बघेल
3. श्रीमती अनिला भेंडिया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

4. श्री बघेल लखेश्वर
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री भोलाराम साहू
7. श्री लालजीत सिंह राठिया
8. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
9. श्री दिलीप लहरिया
10. श्री रामकुमार यादव
11. श्री द्वारिकाधीश यादव
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13. श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा
16. श्री इंद्रशाह मण्डावी
17. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
18. श्री विक्रम मंडावी
19. श्रीमती विद्यावती सिदार
20. श्री फूलसिंह राठिया
21. श्री अटल श्रीवास्तव
22. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
23. श्री ब्यास कश्यप
24. श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्रीमती चातुरी नंद
26. श्री संदीप साहू
27. श्री इन्द्र साव
28. श्री जनक ध्रुव
29. श्री ओंकार साहू
30. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए निरंतर नारे लगाये गये)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- निलंबित सदस्यों से यह आग्रह है कि कृपया सदन से बाहर चले जायें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर गये)

समय :
1.11 बजे **निलंबन समाप्ति की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं । मैं, उनका निलंबन समाप्त करता हूं । कृपया, सभी सदस्य सदन में आ जाएं ।

समय :
1.11 बजे **ध्यानाकर्षण सूचना**

(1) कोल परिवहन व उससे संबंधित परमिट तथा अन्य स्वीकृति को ऑनलाईन नहीं किया जाना.

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- कोल परिवहन व उससे संबंधित परमिट तथा अन्य स्वीकृति हेतु दिनांक 15 जुलाई 2020 से पूर्व ऑनलाईन आवेदन तथा अनुमोदन की प्रक्रिया होती थी । खनिज विभाग के तत्कालीन जिम्मेदारों द्वारा 15 जुलाई, 2020 के द्वारा इस व्यवस्था को परिवर्तित कर ऑफलाईन कर दिया गया है। इस व्यवस्था परिवर्तन से विभाग में अवैध लेनदेन एवं भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला । इस अवैधानिक प्रक्रिया तथा व्यवस्था को रोकने शासन के द्वारा कोई रूचि नहीं ली गये एवं जान बूझकर उदासीनता बरती गई, जिससे जन साधारण में अत्यंत ही रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2020 के तहत् यह निर्देश जारी किया गया है कि छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के तहत् अभिवहन पास में अंकित गंतव्य स्थान से अन्यत्र स्थान परिवर्तित किया जाना प्रतिबंधित है । अत: परिवहन हेतु जारी किये जाने वाले अभिवहन पास में गंतव्य स्थान के कॉलम में अंतिम गंतव्य स्थान दर्ज करते हुये, जिस लायसेंसी (कोल वॉशरी, कोल डीपो, क्रेशर आदि) के माध्यम से कोयला प्रदाय किया जा रहा है, उसे भी स्थान सहित अभिवहन पास में अंकित किया जाना आवश्यक मानते हुए सभी प्रकार के रेल द्वारा परिवहन (एसईसीएल, रेल्वे साईडिंग, अन्य साईडिंग) हेतु परिवहन के संबंध में आवेदन के साथ रेल्वे का फारवर्डिंग नोट लगाया

जाकर अनुमति हेतु आवेदन संबंधित जिले के खनिज शाखा में किया जाये, जिस पर उप-संचालक (ख.प्र.)/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी द्वारा उचित जांच कर कोयला परिवहन अनुमति जारी की जाएगी ।

उक्त निर्देश के तहत् भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों को भी खनिज ऑनलाईन पोर्टल से रॉयल्टी पेड अभिवहन पास जारी करने के पूर्व संबंधित कोयला भण्डार अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रारूप में उप-संचालक (ख.प्र.) /खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी की अनुमति लेने के निर्देश दिये गये थे । इस निर्देश के उपरांत खनिज अमलों के द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के उपरांत ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण भ्रष्टाचार एवं अवैध उगाही के आक्षेप लगे ।

इसी अनुक्रम में प्रवर्तन निर्देशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है । साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रकरण दर्ज कराया है, जो विवेचनाधीन है ।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार में खनिज विभाग के किस अधिकारी ने ऑनलाईन प्रक्रिया का जो पहले से प्रारूप चल रहा था, उसमें किसकी सहमति से संशोधन किया ? वह व्यक्ति कौन था और किस पद का था ? यह जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं। दूसरा, जब पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना और प्रदेश के अंदर कोल परिवहन के नाम पर 25 रूपये अवैध वसूली चालू हुई, जब न्यायालय के अंदर प्रकरण गया और ई.डी. ने रेड मारी तो कौन-कौन सक्षम अधिकारी थे जो उसमें दोषी पाए गए ? कौन-कौन व्यक्ति जेल में हैं ? जब ई.डी. ने उनके यहां रेड मारी, उसके बाद राज्य सरकार को ई.डी. ने समंस भेजा, उस पर क्या कार्रवाई की ? जरा इस पर संज्ञान दे दें, इतना मैं चाहता हूं।

श्री विष्णुदेव साय :- अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग में पूर्व में कोयले के परिवहन हेतु खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पट्टेदार द्वारा स्वत: अपने कार्यालय से खनिज परिवहन हेतु ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट पास प्राप्त कर बिना खनिज कार्यालय आए अपना परिवहन किया जा रहा था। लेकिन संचालक खनिज विभाग द्वारा 15 जुलाई, 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गयी थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जाएगा जिससे ऑनलाईन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप हुआ जिसके कारण भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे। संचालक के द्वारा यह आदेश जारी हुआ था जो आज जेल में है। नवीन प्रक्रिया के लागू होने से ई.टी.पी. लागू करने में विलंब हुआ और कई कोयला खदानों में निकासी अवरूद्ध होने से रायल्टी राजस्व की हानि हुई जिस पर भारत सरकार ने भी दो बार राज्य सरकार को पत्र जारी कर आपत्ति ली गयी थी, इसके अतिरिक्त मानवीय हस्तक्षेप शुरू होने से अवैध उगाही एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला जिससे पूरे देश

में प्रदेश की छवि धूमिल हुई। इसमें संचालक का नाम श्री समीर बिश्नोई, आई.ए.एस. जो अभी जेल में है। प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से भी उक्त आदेश को निरस्त करने की लगातार मांग की गयी एवं अवैध लेन देन उगाही का भी आरोप लगाया गया। इसी अनुक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया है, जो विवेचनाधीन है।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं दो तीन छोटी सी चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 15 साल आपकी सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री जी आज अध्यक्ष के रूप में हैं। पूरे देश में प्रक्रिया है कि ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से अगर परमीशन दी जा रही है, ऐसी कौन सी आपदा आ गयी थी, ऐसी कौन सी व्यवस्था खड़ी करनी थी जिसके कारण ऑनलाईन को ऑफलाईन करना पड़ा। (शेम-शेम की आवाज) यह दुख की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस विषय को रख रहा हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफलाईन करने के लिए क्या यह डायरेक्टर अधिकृत है ? क्या उस समय के तत्कालीन प्रभारी मंत्री या उस समय के जो भी उस विभाग के भारसाधक मंत्री होंगे, क्या उनका उस पर अनुमोदन प्राप्त हुआ ? आपको सूचना मिली या आपके विभाग को यह जानकारियां प्राप्त हुई तो विभाग ने संज्ञान में ले करके क्या कोई कार्रवाई की ? माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपके कार्यकाल का नहीं है, मैं उन व्यक्तियों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं जो ई.डी. के कटघरे के अंदर जेल के अंदर विराजमान हैं। लेकिन मैं इस प्रदेश की जनहित की बात करने वाले जो बड़े-बडे मुद्दों के उपर बात करके बहिष्कार करके जाते हैं, उस समय के छत्तीसगढ़ का चर्चित केस जो छत्तीसगढ़ में कभी 15 साल में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नये-नये तरीके से भ्रष्टाचार की जननी के नायक लोग, जो अभी इस सदन का बहिष्कार करके गये, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय भारसाधक मंत्री कौन थे ? क्या उसमें उनका अनुमोदन था ? यदि आपके पास E.D. ने केस की डायरी भेजी तो उसमें किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं ? यदि उनके खिलाफ E.O.W. में शिकायत गई है तो E.O.W. ने इतने दिनों में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की ? मैं आपसे इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि क्या यह केस C.B.I. को सुपुर्द किया जाएगा ? साथ ही एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो ऑफलाइन हो गया है, क्या आप उसे ऑनलाइन करेंगे ? ताकि इस प्रदेश के उन सब लोगों को राहत मिले, जो भ्रष्टाचार के पैमाने को लेकर काम कर रहे थे और आम जनता को उसकी राहत की सुविधा मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इन दो विषयों के लिए आग्रह करना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक ने शासन से कोई अनुमोदन नहीं लिया था। जिसकी आज वह सजा भुगत रहा है। विगत् पिछले नियम से निश्चित रूप से खनिज के क्षेत्र में प्रदेश शासन की छवि पूरे देश में शामिल हुई है। हमारी

सरकार पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन हेतु संकल्पित है। इसलिए मैं हमारी सरकार की तरफ से संचालक, खनिज विभाग द्वारा जारी दिनांक 15.07.2020 के परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- यह पर्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी घोषणा कर दी कि ऑफलाइन को ऑनलाइन कर दिया। आप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए और समाप्त कीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रदेश के हित में यह किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक नज़ीर बननी चाहिए कि जिन लोगों ने इन कामों को अंजाम दिया, वह लोग भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। जिस व्यक्ति ने इस काम को अंजाम दिया था, क्या वह अभी भी वर्तमान पद पर विराजमान है ?

श्री विष्णु देव साय :- सब जेल में हैं। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, वह तो अपने कर्मों के कारण जेल में हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त हो गया। धन्यवाद।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस केस की C.B.I. से जांच कराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- इस पर साफ-साफ जवाब आ चुका है और इससे स्पष्ट जवाब नहीं आ सकता है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा जवाब है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- और सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप बहुत छोटा प्रश्न पूछिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आधा सेकण्ड का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेश मूणत जी ने एक बात कही, जिसका उत्तर नहीं आया। ऑफलाइन को ऑनलाइन कर देना तो एक सिस्टम है लेकिन इस पूरे प्रकरण में शुरू से आखिरी तक जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर E.O.W. ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि वह प्रकरण विचाराधीन है तो क्या राज्य शासन स्वयं पहल करके उसको C.B.I. को सौंपेगी ?

श्री राजेश मूणत :- माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे छत्तीसगढ़ का भला होगा।

श्री विष्णु देव साय :- इसकी जांच E.D. कर रही है। अभी यह मामला समाप्त नहीं हुआ है, विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धन्यवाद। बृजमोहन जी।

ध्यानाकर्षण संख्या 2 : श्री द्वारिकाधीश यादव (अनुपस्थित)

(माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ध्यानाकर्षण संख्या 02 प्रस्तुत नहीं हुई)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की स्वस्थ परंपरा है कि जो भी चर्चा हो, वह विपक्ष की उपस्थिति में हो। मैंने विपक्ष से आग्रह किया कि आप चर्चा में चलिये तो उन्होंने कहा कि हम इस चर्चा में कल भाग लेंगे। इसलिए मैं आपसे इस बात का आग्रह करूंगा कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी है, उसकी शुरूआत कल कराएं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। विपक्ष ने भी इस पर सहमति दी है।

अध्यक्ष महोदय :- यदि सदन की इच्छा है तो सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 1 बजकर 24 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 (माघ 19, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 07 फरवरी, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं